

[2007] 1 उम्.नि. प. 91

गुरप्रीत सिंह

बनाम

भारत संघ

19 अक्टूबर, 2006

मुख्य न्यायमूर्ति वाई. के. सभरवाल, न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन्, न्यायमूर्ति एस. एच. कपाड़िया, न्यायमूर्ति सी. के. ठक्कर और न्यायमूर्ति पी. के. बालसुब्रह्मण्यन्

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) – आदेश 21, नियम 1 – धन संबंधी डिक्रियों का निष्पादन – पुनर्विनियोजन का सिद्धांत – डिक्रीदार निर्णीतऋणी द्वारा किए गए संदायों का विनियोजन डिक्री में की गई व्यवस्था के अनुसार या आदेश 21, नियम 1 के उपबंधों के अनुसार करने का अधिकार है और यदि निर्णीतऋणी द्वारा जमा की गई रकम डिक्रीत रकम से कम है तो डिक्रीदार उसे पहले ब्याज मद्दे फिर खर्च मद्दे तथा उसके बाद डिक्री के अधीन देय नूल रकम मद्दे विनियोजित करने का हकदार होगा और यदि अपील करने पर अधिक रकम देय पाई जाती है और निर्णीतऋणी द्वारा वह रकम जमा करा दी जाती है तो डिक्रीदार पुनर्विनियोजन की ईप्सा करने का हकदार नहीं है तथा निर्णीतऋणी प्रथम बार के न्यायालय या अपील न्यायालय द्वारा असंदत्त न्यायनिर्णीत मूल रकम पर ही ब्याज संदत्त करने के लिए बाध्य होगा।

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) – धारा 11, 23(1), 23(1-क), 26, 28, 31, 34 और 54 – प्रतिकर अधिनिर्णीत करने संबंधी डिक्री का निष्पादन – प्रक्रम-वार विनियोजन का सिद्धांत – प्रेम नाथ कपूर वाले मामले में विभिन्न प्रक्रमों पर विनियोजन के संबंध में अपनाया गया यह आवश्यक विनिश्चय-आधार न्यायोचित है कि राज्य द्वारा अधिनिर्णय डिक्री मद्दे जमा की गई रकम का विनियोजन भूमि अर्जन अधिनियम की स्कीम के अधीन कलक्टर, निर्देश न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उत्तरवर्ती अधिनिर्णयों की बाबत विभिन्न अधिनिर्णय प्रक्रमों पर किया जाएगा – राज्य द्वारा प्रत्येक अधिनिर्णय प्रक्रम पर किए गए निक्षेप का विनियोजन उस प्रक्रम पर अधिनिर्णीत रकम के लिए ही किया जाएगा किन्तु यदि किसी विशेष प्रक्रम पर राज्य द्वारा जमा की गई रकम कम होती है तो अधिनिर्णीत डिक्रीदार उसे विनियोजन के

साधारण सिद्धांत के आधार पर पहले व्याज मद्दे, उसके बाद खर्च मद्दे और फिर मूलधन मद्दे विनियोजित कराने का हकदार होगा यदि निर्णीतऋणी द्वारा डिक्रीदार को अपने आशय की सूचना देते हुए निष्केप करते समय यह उपदर्शित न किया गया हो कि वह निष्केप किन्हीं विनिर्दिष्ट शीर्षों मद्दे किया गया है तथा डिक्रीदार मात्र इस कारण कि अगले अधिनिर्णय के प्रक्रम पर न्यायालय ने प्रतिकर की रकम बढ़ा दी है, उस रकम पर, जो उसने पहले प्राप्त कर ली है या किसी विशिष्ट अधिनिर्णय के प्रक्रम पर उसे उस रकम के निष्केप की सूचना है, व्याज का दावा नहीं कर सकता है।

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) – धारा 23(2) और 34 – तोषण – निष्पादन के प्रक्रम पर तोषण पर व्याज – निष्पादन के समय तोषण पर व्याज केवल तभी अधिनिर्णीत किया जा सकता है यदि निर्देश न्यायालय या अपील न्यायालय ने अभिव्यक्त रूप से या आवश्यक विवक्षा द्वारा उसे नकार न दिया हो और तोषण पर ऐसे व्याज का दावा केवल निष्पादन संबंधी लंबित कार्यवाहियों में किया जा सकता है और इससे डिक्रीदार के द्वारा कोई पुनर्विनियोजन कराना आवश्यक नहीं होगा।

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 145, 141 और 142 – निर्देश न्यायपीठ की अधिकारिता – निर्दिष्ट न किए गए मुद्दे के संबंध में सुनवाई करने और निर्णय देने की शक्ति – चूंकि निर्दिष्ट न किए गए मुद्दे से संबंधित प्रश्न देश भर के न्यायालयों में लंबित विभिन्न मामलों में उद्भूत हो रहा था, इसलिए इस प्रश्न पर मुकदमेबाजी की बहुलता को रोकने की दृष्टि से अनुच्छेद 141 और 142 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टीकरण के तौर पर दिया गया है।

धन डिक्रियों के निष्पादन में विनियोजन का नियम क्या है ? क्या भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अधिनिर्णय डिक्री की दशा में वही नियम है या क्या 1984 के भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम सं. 68 द्वारा यथा-संशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में ऐसी कोई बात है जो उस नियम को अनुपयोज्य या संपूर्णतः उपयोज्य नहीं बनाती ? ये ही वे प्रश्न हैं जो अपील करने के लिए इन विशेष इजाजत याचिकाओं में उद्भूत हुए हैं। यह दलील दी गई कि जब कलक्टर के अधिनिर्णय की बाबत कोई निर्देश न्यायालय या निर्देश न्यायालय के अधिनिर्णय की बाबत अपील न्यायालय वर्धित प्रतिकर अधिनिर्णीत करता है तब उस न्यायालय का अधिनिर्णय प्रवर्तनशील होता है जो वर्धित प्रतिकर अधिनिर्णीत करता है और

विलयन के सिद्धांत के अनुसार भी प्रवर्तनशील डिक्री अपील न्यायालय की डिक्री होती है। इस प्रकार, किसी मामले में, अंतिम न्यायालय का अधिनिर्णय अर्जन के लिए संदेय रकम होगी और डिक्रीदार उस आधार पर उसे देय रकम की संगणना करने और ऐसी संगणना के आधार पर तथा पहले से किए गए संदाय या संदायों को हिसाब में रखते हुए पुनर्विनियोजन की ईप्सा करने के लिए स्वतंत्र होता है। दूसरे शब्दों में, यह दलील दी गई कि प्रत्येक बार जब भी वृद्धि की जाती है, पुनर्संगणना और समायोजन की ईप्सा की जाएगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त दलील को नामंजूर करते हुए और निम्नलिखित निबंधनों में निर्देश का उत्तर देते हुए,

अभिनिर्धारित – भूमि अर्जन अधिनियम की स्कीम के आधार पर यह दृष्टव्य है कि प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के भिन्न-भिन्न प्रक्रम है। प्रथम प्रक्रम तब उद्भूत होता है जब अधिनिर्णय पारित किया जाता है। स्पष्टतः, अधिनिर्णय के अंतर्गत अधिनियम की धारा 23(1), अधिनियम की धारा 23(1क), अधिनियम की धारा 23(2) द्वारा अनुध्यात सभी रकमें और अधिनियम की धारा 34 द्वारा अनुध्यात ब्याज आता है। वह संपूर्ण रकम कलकटर द्वारा अधिनियम की धारा 31 के निबंधनानुसार संदत्त या निष्क्रिप्त की जाती है। इस प्रक्रम पर निष्क्रेप में कोई कमी अनुध्यात नहीं है चूंकि कलकटर को स्वयं द्वारा अधिनिर्णीत रकम संदत्त या निष्क्रिप्त करनी होती है। यदि कोई कमी इंगित की जाती है तो उसकी पूर्ति उस प्रक्रम पर करनी होगी और विनियोजन का सिद्धांत लागू हो सकता है हालांकि उस प्रक्रम पर आंशिक निष्क्रेप अनुध्यात करना कठिन है। अधिनियम की धारा 31 के अधीन कलकटर द्वारा निष्क्रेप करने पर दार्वेदार द्वारा निष्क्रेप की सूचना प्राप्त करने और विरोध करते हुए या विरोध के बिना रकम निकालने या प्रतिगृहीत करने के अधिकार के अधीन रहते हुए प्रथम प्रक्रम समाप्त हो जाता है। दूसरा प्रक्रम अधिनियम की धारा 18 के अधीन निर्देश करने पर उद्भूत होता है। जब निर्देश न्यायालय वर्धित प्रतिकर अधिनिर्णीत करता है तब उसे धारा 23(1), धारा 23(1क), धारा 23(2) के अधीन संदेय वर्धित रकमों और अधिनियम की धारा 28 में यथा-उपबंधित वर्धित रकम पर ब्याज और धारा 27 के निबंधनानुसार खर्चों का भी आवश्यक रूप से ध्यान रखना होगा। कलकटर का यह कर्तव्य है कि वह इस प्रकार पारित की गई मानित डिक्री के अनुसरण में ये रकमें जमा करें। इसका पहले से किए गए या अधिनिर्णय के पश्चात किए जाने वाले निष्क्रेप से कोई संबंध नहीं है। यदि किया गया निष्क्रेप डिक्री की गई वृद्धि से कम होता है तो उस

प्रक्रम पर निर्देश पर वर्धित रकम के संबंध में विनियोजन का प्रश्न उद्भूत हो सकता है। तीसरा प्रक्रम तब आता है जब अपील में उच्च न्यायालय, जैसा कि पहले उपदर्शित किया गया है, प्रतिकर में वृद्धि करता है। वर्धित प्रतिकर पर जब द्वारा 28 लागू की जाती है तब प्रतिकर के वर्धित भाग पर ब्याज भी लगेगा। इस प्रकार, संगणित वर्धित रकम, निर्देश न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत रकम के अतिरिक्त, यदि वह पहले ही जमा नहीं की गई है, जमा करनी होगी। चौथा प्रक्रम वह हो सकता है जब उच्चतम न्यायालय प्रतिकर में वृद्धि करता है और उस प्रक्रम पर भी वही नियम लागू होगा। (पैरा 27, 28, 29 और 30)

यद्यपि डिक्रीदार को निर्णीत ऋणी द्वारा किए गए संदायों को विनियोजित करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है तथापि वह डिक्री में यथा-उपबंधित के अनुसार ही हो सकता है – यदि डिक्री में इस संबंध में कोई उपबंध है – या, संहिता के आदेश 21 के नियम 1 द्वारा यथा-अनुध्यात, जैसा कि हमारे द्वारा ऊपर स्पष्ट किया गया है, प्राप्त हो सकेगा। संहिता या साधारण नियमों में निर्णीत ऋणी द्वारा मूलधन के उस भाग पर, जिसका संदाय वह पहले ही कर चुका है और ब्याज का संदाय करना अनुध्यात नहीं है। उसकी बाध्यता केवल उस अतिशेष मूलधन पर ब्याज का संदाय करना है जो प्रथम बार के न्यायालय या अपील न्यायालय द्वारा यथा-न्यायनिर्णीत असंदत्त रह जाता है। डिक्रीदार, इस बहाने से कि अपील न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णीत रकम वास्तव में देय रकम है, मूलधन के उस भाग पर, जिसका संदाय उसे पहले ही कर दिया गया है, ब्याज का दावा नहीं कर सकता। निस्संदेह, जैसा कि उपदर्शित किया गया है, जो कुछ उसे संदत्त किया गया है, उसमें से वह पहले ब्याज और खर्च समायोजित कर सकता है और शेष रकम मूलधन मढ़े, यदि निक्षेप कम किया जाता है, समायोजित कर सकता है। किन्तु डिक्रीदार उससे अधिक संपूर्ण संव्यवहार फिर से चालू करने की ईप्सा नहीं कर सकता और समस्त रकम पर ब्याज की पुनर्संगणना करने की कार्यवाही नहीं कर सकता और अपीली डिक्री के प्रकाश में संपूर्णतः पुनर्विनियोजन की ईप्सा नहीं कर सकता। (पैरा 40)

इस प्रकार, धन डिक्रियों या अधिनिर्णय डिक्रियों या बल्कि बंधक डिक्रियों से भिन्न डिक्रियों के निष्पादन के मामलों में जमा की गई रकम पर निक्षेप की सीमा तक ब्याज नहीं लगता। यह सही है कि यदि रकम कम होती है तो डिक्रीदार उस रकम को पहले ब्याज मढ़े, उसके बाद

खर्चों मद्दे और उसके पश्चात् डिक्री के अधीन देय मूल रकम मद्दे विनियोजित कराकर विनियोजन के नियम को लागू कराने का हकदार हो सकेगा। किन्तु तथ्य यही रहता है कि निष्केप की सीमा तक डिक्रीदार को उस पर कोई और ब्याज संदेय नहीं है और डिक्रीदार द्वारा तब पुनर्विनियोजन का दावा करने का प्रश्न ही नहीं उठता जब यह पाया जाता है कि उससे अधिक रकम देय है और निर्णीतऋणी द्वारा वह भी जमा करा दी जाती है। दूसरे शब्दों में, स्कीम में तुष्टि के मामले को उस सीमा तक फिर से खोलना अनुद्यात नहीं है जिस तक निष्केप द्वारा वह पूरा हो गया है। मूलधन मद्दे विनियोजित रकम पर कोई और ब्याज नहीं लगेगा। (पैरा 21)

दावेदार, अधिनियम की धारा 31 के साथ पठित धारा 11 के निबंधनानुसार कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत रकम का संदाय या निष्केप कर देने के पश्चात् प्रतिकर के उस भाग पर, जो उसे संदत्त कर दिया गया है या उसे संदाय करने के लिए जमा करा दिया गया है, उसे निष्केप की सूचना देने के पश्चात् किसी ब्याज का दावा नहीं कर सकता। इसके पश्चात्, जब निर्देश न्यायालय अधिनियम की धारा 23 (1क) के अधीन तोषण और ब्याज में परिणामिक वृद्धि सहित प्रतिकर में वृद्धि करता है और इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 28 के निबंधनानुसार बढ़ाए गए प्रतिकर पर ब्याज अधिनिर्णीत करता है तो दावेदार/डिक्रीदार उस अधिनिर्णय डिक्री के अनुसरण में जमा की गई रकमों का निर्देश न्यायालय द्वारा इस प्रकार अधिनिर्णीत वर्धित रकम मद्दे ही विनियोजन करने की ईप्सा कर सकता है। विनियोजन करते समय वह जमा की गई रकम का पहले अपने दावे की तुष्टि के लिए बढ़ाई गई रकम पर ब्याज, अधिनिर्णीत खर्च, यदि कोई हो, के लिए और शेष रकम का भूमि के मूल्य, तोषण और अधिनियम की धारा 23(1क) के अधीन संदाय मद्दे उपयोजन कर सकता है और यदि रकम कम होती है तो प्रतिकर के उस भाग का उस पर अधिनियम की धारा 28 के उपबंधों के अनुसार और अधिनिर्णय डिक्री के अंतर्गत आने वाले ब्याज सहित दावा कर सकता है। जब निर्देश न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई राशि राज्य द्वारा ब्याज सहित जमा करा दी जाती है तब दावेदार/अधिनिर्णीत व्यक्ति कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत रकम को, जो निर्देश न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत रकम द्वारा प्रतिस्थापित की गई हो, नए सिरे से उपयोजित करने की ईप्सा नहीं कर सकेगा और उस रकम का पुनर्विनियोजन देय रकम मद्दे करने की ईप्सा नहीं कर सकेगा। ऐसे मामले में भी यही स्थिति होगी जहां निर्देश न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत रकम ब्याज

संहित जमा कर दी जाती है किन्तु वह रकम अपील में उच्च न्यायालय द्वारा और बढ़ा दी जाती है। यही सिद्धांत तब भी लागू होगा जब उच्चतम न्यायालय में आगे अपील करने पर और वृद्धि अधिनिर्णीत कर दी जाती है। किन्तु यदि निर्देश न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय किए जाने के पश्चात् राज्य द्वारा रकम जमा नहीं कराई जाती तो अधिनियम की धारा 28 के निर्बंधनानुसार प्रतिकर पर धारा 28 में यथा-उपबंधित रकम पर ब्याज लगेगा। उच्च न्यायालय द्वारा अपील में की गई वृद्धि और उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील में की गई वृद्धि के बारे में भी यही स्थिति होगी। धारा 34 और धारा 28 की यह आज्ञा कि ब्याज उस तारीख से जब कलक्टर कब्जा ले लेता है उन धाराओं के उपबंधों के अनुसार विशिष्ट रकम जमा करने तक ब्याज लगेगा, यह सुनिश्चित करती है कि दावेदार की पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति की जाए। धारा 28, प्रतिकर में वृद्धि के प्रत्येक प्रक्रम पर ऐसी क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करती है। (पैरा 23)

क्या कोई ऐसा दावेदार या डिक्रीदार, जिसने निर्देश न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत समस्त रकम प्राप्त की है या जिसे इस प्रकार अधिनिर्णीत समस्त रकम जमा किए जाने की सूचना है, उस रकम पर जो उसने पहले ही प्राप्त कर ली है, मात्र इस कारण ब्याज का दावा कर सकता है क्योंकि अपील न्यायालय ने प्रतिकर में वृद्धि कर दी है और अतिरिक्त प्रतिकर संदेय बना दिया है? भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 28 में यह उपदर्शित किया गया है कि ब्याज अधिनिर्णीत करना अधिनिर्णीत आधिक्य प्रतिकर तक सीमित है और वह बेकब्जा करने की तारीख से संदर्भ किया जाना है। यह उस स्थिति के अनुरूप है कि अधिनियम की स्कीम द्वारा नए सिरे से पुनर्विनियोजन अनुध्यात या अपेक्षित नहीं है। किन्तु यदि किसी प्रक्रम पर कोई कमी होती है तो दावेदार या डिक्रीदार उस रकम की बाबत जब तक डिक्री में अन्यथा निर्देशित न हो, पहले ब्याज और खर्च मद्दे और उसके बाद मूलधन मद्दे विनियोजन का नियम लागू करने की ईप्सा कर सकता है। (पैरा 31)

यह दलील दी गई कि जब कोई निर्देश न्यायालय या अपील न्यायालय वर्धित प्रतिकर अधिनिर्णीत करता है तब प्रवर्तनशील अधिनिर्णय न्यायालय का अधिनिर्णय होता है और विलयन के सिद्धांत के अनुसार भी प्रवर्तनशील डिक्री अपील न्यायालय की डिक्री होती है। इस प्रकार, किसी मामले में, अंतिम न्यायालय का अधिनिर्णय अर्जन के लिए संदेय रकम होगी और डिक्रीदार उस आधार पर उसे देय रकम की संगणना करने और

ऐसी संगणना के आधार पर तथा पहले से किए गए संदाय या संदायों को हिसाब में रखते हुए पुनर्विनियोजन की ईप्सा करने के लिए स्वतंत्र होता है। दूसरे शब्दों में, यह दलील दी गई कि प्रत्येक बार जब भी वृद्धि की जाती है, पुनर्संगणना और समायोजन की ईप्सा की जाएगी। उत्तर में यह दलील दी गई कि अधिनियम में विभिन्न प्रक्रमों, अधिनिर्णय के प्रक्रम, निर्देश के प्रक्रम और अपील के प्रक्रम पर प्रतिकर के अवधारण के लिए उपबंध किए गए हैं और अधिनिर्णय पर आधारित और उसके पश्चात् अधिनिर्णीत आधिक्य प्रतिकर पर ही ब्याज और तोषण का संदाय करने के लिए उपबंध किए गए हैं और ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती प्रक्रम पर लेखबद्ध त्रुष्टि पर फिर से विचार करना न तो अनुद्यात है और न ही अपेक्षित है। (पैरा 38)

जब निर्देश न्यायालय या अपील न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत रकम अपील न्यायालय के या अगले अपील न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसरण में जमा कर दी जाती है और अधिनिर्णीत व्यक्ति को वह रकम निकालने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तब क्या होगा? ऐसी दशा में, वह रकम डिक्रीदार द्वारा अंतरिम आदेश के आधार पर प्राप्त की जाएगी और उसका विनियोजन अपील में के विनिश्चय या आगे अपील और उसमें अंतर्विष्ट निदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होगा। ऐसी दशा में, यदि अपील का निपटारा उसके पक्ष में किया जाता है तो डिक्रीदार अंतरिम आदेश के अनुसरण में उसके द्वारा पहले प्राप्त की गई रकम को पहले ब्याज मद्दे और उसके बाद खर्च मद्दे और अतिशेष रकम उस मूलधन मद्दे-जो रकम की निकासी की तारीख को विद्यमान था, विनियोजित करने का और निष्पादन करा कर वर्धित प्रतिकर की अतिशेष रकम का दावा करने का हकदार होगा। किन्तु मूलधन मद्दे विनियोजित उस भाग पर उस तारीख से ब्याज नहीं लगेगा जिस तारीख को वह रकम अधिनिर्णीत व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है। निस्संदेह, यदि न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित करते समय यह उपर्युक्त कर दिया था कि जमा की गई रकम किस प्रकार विनियोजित की जानी है तो वह निदेश अभिभावी होगा और विनियोजन उस निदेश के आधार पर ही किया जा सकेगा। (पैरा 43)

इस न्यायपीठ से एक अन्य प्रश्न उठाने और उसका उत्तर देने की ईप्सा भी की गई थी यद्यपि वह प्रश्न उसे निर्देशित नहीं किया गया था। इस बात पर विचार करते हुए कि यह प्रश्न देश भर के न्यायालयों में लंबित विभिन्न मामलों में उद्भूत होता है वह प्रश्न उठाने के लिए अनुज्ञात किया

गया। वह प्रश्न यह है कि क्या सुन्दर वाले मामले में के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए अधिनिर्णीत व्यक्ति/डिक्रीदार निष्पादन के समय तोषण पर ब्याज का दावा करने का हकदार होगा यद्यपि डिक्री द्वारा वह विनिर्दिष्ट रूप से अनुदत्त नहीं किया गया है। यह सुस्थापित है कि कोई निष्पादन न्यायालय डिक्री से परे कार्यवाही नहीं कर सकता। अतः यदि तोषण पर ब्याज के लिए दावा किया गया था और उसे निर्देश न्यायालय या अपील न्यायालय के निर्णय या डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से या आवश्यक विवक्षा द्वारा नकार दिया गया है तो निष्पादन न्यायालय को इस आधार पर तोषण पर ब्याज के लिए दावा आवश्यक रूप से नामंजूर करना होगा कि निष्पादन न्यायालय डिक्री से परे नहीं जा सकता। किन्तु यदि निर्देश न्यायालय के या अपील न्यायालय के अधिनिर्णय में तोषण पर ब्याज के प्रश्न के प्रति विनिर्दिष्ट रूप से निर्देश नहीं किया गया है या ऐसे मामलों में जहां दावा नहीं किया गया था और निर्देश न्यायालय या अपील न्यायालय द्वारा अभिव्यक्ततः या विवक्षित रूप से नामंजूर किया गया था और केवल प्रतिकर पर ब्याज अधिनिर्णीत किया गया था तो निष्पादन न्यायालय सुन्दर वाले मामले के विनिश्चय-आधार को लागू करने के लिए और यह कहने के लिए स्वतंत्र होगा कि अधिनिर्णीत प्रतिकर के अंतर्गत तोषण भी आता है और ऐसी दशा में, निष्पादन में उस रकम पर ब्याज जमा करने का निर्देश दिया जा सकता था। अन्यथा ऐसा नहीं किया जा सकता था। तोषण पर ऐसे ब्याज का दावा केवल लंबित निष्पादनों में ही किया जा सकता है और निष्पादन न्यायालय सुन्दर वाले निर्णय (19 सितम्बर, 2001) की तारीख से, न कि इससे पहले की किसी अवधि के लिए, उसकी वसूली की अनुज्ञा देने का हकदार होगा। इसके कारण डिक्रीदार द्वारा कोई पुनर्विनियोजन या फिर से विनियोजन नहीं किया जाएगा। ऐसा हमने संविधान के अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 142 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न पर मुकदमेबाजी की बहुलता को रोकने की दृष्टि से स्पष्टीकरण के तौर पर भी उपदर्शित किया है। (पैरा 45)

अनुमोदित निर्णय

पैरा

- | | | |
|--------|--|----|
| [1956] | ए. आई. आर. 1956 ट्रावनकोर-कोचीन 46 :
वर्की आसेफ बनाम नारायणन् परमेश्वर पानिकर ; | 12 |
| [1953] | ए. आई. आर. 1953 मद्रास 458 :
मरिमेल्ला सूर्यनारायण बनाम वेंकटरमण राव ; | 8 |

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका [2007] 1 उम. नि. प.

99

- [1941] ए. आई. आर. 1941 लाहौर 386 :
जय राम बनाम सुलाखन मंल ; 17
- [1933] ए. आई. आर. 1933 पटना 89 :
गोपालजी बनाम सुमृत मंदर ; 12
- [1918] आई. एल. आर. 40 इलाहाबाद 125 :
मु. अमतुल हबीब बनाम मोहम्मद युसुफ | 12, 13
पुष्ट किया गया निर्णय
- [2001] [2001] सप्ली. 3 एस. सी. आर. 176 :
सुन्दर बनाम भारत संघ | 3, 32, 41, 45
- अनुसृत निर्णय**
- [1999] [1999] 1 एस. सी. आर. 555 :
इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट
सिंडीकेट, जिसे अब आई. सी. डी. एस.
लिमिटेड कहा जाता है बनाम स्मिताबेन
एच. पटेल (श्रीमती) और अन्य | 15
- निर्दिष्ट निर्णय**
- [1995] [1995] सप्ली. 5 एस. सी. आर. 790 :
प्रेम नाथ कपूर और एक अन्य बनाम
नेशनल फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ 3, 34, 38, 39,
इंडिया लिमिटेड और अन्य ; 41, 42, 44
- [1995] [1995] 3 एस. सी. आर. 765 :
मथुन्नी मर्थई बनाम हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक
कैमिकल्स लिमिटेड और अन्य ; 33, 35, 37, 39
- [1970] [1970] 2 उम. नि. प. 435 =
(1969) 2 एस. सी. सी. 274 :
मेघराज और अन्य बनाम मुसम्मात बयाबाई
और अन्य | 14, 37

सिविल अपीली अधिकारिता

2006 की सिविल अपील सं.
4570, 4549, 4548 और 4547.

2003 के सिविल पुनरीक्षण सं. 773 (ओ. एंड एम.) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की चंडीगढ़ न्यायपीठ के तारीख 10 अप्रैल, 2003 के अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थी की ओर से

सर्वश्री मुकुल रोहतगी, पी. एस. नरसिंहा, श्रीधर पौटाराजू, अविजीत के. लाला (मैसर्स. पी. एस. एन. एंड कंपनी की ओर से), एस. एम. सरीन, पी. एन. पुरी, रोहित राव और जॉन मैथ्यु

प्रत्यर्थी की ओर से

सर्वश्री ए. शरण (अपर महासालिसिटर), टी. एम. मोहम्मद युसुफ, एस. डब्ल्यू. ए. कादरी, (सुश्री) अनिल कटियार, शिशिर पिनाकी, (सुश्री) शालिनी रंजन, अमित आनंद तिवारी और (सुश्री) सुष्मा सूरी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति पी. के. बालसुब्रह्मण्यन् ने दिया।

न्या. बालसुब्रह्मण्यन् – धन डिक्रियों के निष्पादन में विनियोजन का नियम क्या है ? क्या भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अधिनिर्णय डिक्री की दशा में वही नियम है या क्या 1984 के भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम सं. 68 द्वारा यथा-संशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में ऐसी कोई बात है जो उस नियम को अनुपयोज्य या संपूर्णतः उपयोज्य नहीं बनाती ? ये ही वे प्रश्न हैं जो अपील करने के लिए इन विशेष इजाजत याचिकाओं में उद्भूत हुए हैं।

2. इजाजत दी जाती है।

3. प्रेम नाथ कपूर और एक अन्य बनाम नेशनल फर्टिलाइज़र्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य¹ वाले मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि 1984 के अधिनियम सं. 68 द्वारा यथा-संशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘अधिनियम’ कहा गया है) की धारा 23(1) के अधीन ‘प्रतिकर’ अभिव्यक्ति उसकी धारा 28 या धारा 34 के संदर्भ में पठन करने पर आवश्यक विवक्षा द्वारा उससे तोषण को अपवर्जित करती है और तोषण या अधिनियम की धारा 23(1)(क) के अधीन अतिरिक्त रकम पर कोई ब्याज

¹ [1995] सप्ली. 5 एस. सी. आर. 790.

संदेय नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ब्याज संदर्भ करने का दायित्व अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिनिर्णीत रकम के अतिरिक्त सिविल न्यायालय द्वारा धारा 26 के अधीन या अपील करने पर धारा 54 के अधीन अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन अवधारित प्रतिकर की अधिक रकम तक ही सीमित है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि धन की वसूली के लिए डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21, नियम 1 में अंतर्विष्ट विनियोजन का सामान्य नियम अधिनियम की धारा 28 और धारा 34 द्वारा अपवर्जित हो जाता है और संहिता के आदेश 21 के नियम 1 के सिद्धांत अधिनियम के अधीन अधिनिर्णय डिक्रियों के निष्पादन तक विस्तारित नहीं किए जा सकते। अधिनियम की धारा 23(1) और धारा 28 में आने वाली 'प्रतिकर' अभिव्यक्ति की अंतर्वस्तु के संबंध में अपनाए गए मत को सुन्दर बनाम भारत संघ¹ वाले मामले में उलट दिया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनिर्णीत प्रतिकर अभिव्यक्ति के अंतर्गत न केवल धारा 23(1) के अनुसार निकाली गई कुल राशि आएगी बल्कि धारा 23 की शेष उपधाराओं के अधीन राशियां भी आएंगी। इस प्रकार, उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर वाले निर्णय का एक भाग उलट दिया गया है यद्यपि संविधान न्यायपीठ ने उस अन्य पहलू के बारे में कुछ नहीं कहा जिसके संबंध में उसमें विचार-विमर्श किया गया था, अर्थात्, अधिनिर्णय डिक्री के अधीन देय रकम का विनियोजन करने की पद्धति क्या होगी। जब ये मामले तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष आए तो इस पहलू की अवेक्षा की गई। विद्वान् न्यायाधीशों ने यह महसूस किया कि इस प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाना है कि क्या उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर वाले निर्णय का यह भाग उपर्युक्त सुन्दर वाले निर्णय के विनिश्चय-आधार पर खरा उत्तरेगा और अन्यथा भी उसमें अभिव्यक्त मत की शुद्धता पर संविधान न्यायपीठ द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए अपील करने के लिए ये विशेष इजाजत याचिकाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। वह प्रश्न जिसके संबंध में हमसे उत्तर की ईप्सा की गई है, निर्देश के आदेश में निम्नलिखित शब्दों में उपर्युक्त किया गया है:-

"पक्षकारों के विद्वान् काउन्सेल को सुनने और उपर्युक्त विनिश्चयों का परिशीलन करने के पश्चात् हमारा मत यह है कि यह सामान्य नियम अधिनियम के उपबंधों द्वारा अपवर्जित नहीं है कि इसके प्रतिकूल किसी संविदा के अधीन रहते हुए, ब्याज सहित देय

¹ [2001] सप्ली. 3 एस. सी. आर. 176.

किसी ऋण की दशा में ऋणी द्वारा किए गए किसी संदाय को प्रथमतः ब्याज के तोषण मध्ये उसके पश्चात् मूलधन मध्ये विनियोजित किया जाएगा। सामान्य सिद्धांत भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 60 के आधार पर अंतःस्थापित किया गया है। इसे संहिता के आदेश 21, नियम 1(3)(ग) में भी उपदर्शित किया गया है। हम यह अवेक्षा कर सकते हैं कि यद्यपि प्रेम नाथ कपूर और एक अन्य [1995] सप्ली. 5 एस. सी. आर. 790 वाले मामले में के विनिश्चय को संविधान न्यायपीठ द्वारा सुन्दर बनाम भारत संघ [(2001) 7 एस. सी. सी. 211] वाले मामले में उलट दिया गया है तथापि संविधान न्यायपीठ ने विनियोजन के प्रश्न की जांच नहीं की। प्रेम नाथ कपूर और एक अन्य वाले उपरोक्त मामले में के विनिश्चय में विनियोजन के प्रश्न पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।”

इस प्रकार, जिस प्रकार का उत्तर दिया जाना अपेक्षित है, वह यह कि क्या उपर्युक्त प्रेमनाथ कपूर वाले मामले में उपर्युक्त नियम जिसे विनियोजन के भिन्न-भिन्न प्रक्रम कहा जा सकता है, सही है अथवा नहीं या क्या इस नियम को विनियोजन से संबंधित साधारण नियमों और धन डिक्रियों और बंधक डिक्रियों के निष्पादन में विनियोजन से संबंधित नियमों के संदर्भ में समझी जाने वाली भूमि अर्जन अधिनियम की स्कीम के आधार पर पुनः स्पष्ट करने की अपेक्षा है।

4. विनियोजन किसी वस्तु या पदार्थ को किसी विशिष्ट उपयोग के लिए या अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए किसी व्यक्ति के लिए अलग रखने या समनुदेशित करने की कार्यवाही है; उसे किसी विशेष उपयोग या प्रयोजन के लिए लागू करना है। इस पद के तीन विशिष्टीकृत अर्थ हैं:—

(i) कंपनी लेखा-पद्धति में यह कर-पूर्व फायदों का निगम कर, कंपनी कर, कंपनी आरक्षितियों और अंशधारकों के लाभांशों के बीच वितरण है। यह पद किसी भागीदारी स्थिति में भी उसी अर्थ में लागू होता है।

(ii) उत्पाद के पोत परिवहन में, विनियोजन वह दस्तावेज होता है, जिसके द्वारा विक्रेता लदान में सुसंगत इकाई की पहचान क्रेता को कराता है।

(iii) यदि कोई ऋणी किसी लेनदेंर को कोई संदाय करता है और यह विनिर्दिष्ट नहीं करता कि वह संदाय किस ऋण के

परिनिर्धारण के लिए है तो लेनदार ऋणी के खाते में बकाया किसी भी ऋण के लिए उसका विनियोजन कर सकेगा। यह प्रायः संदायों के विनियोजन के रूप में जाना जाता है। (देखिए पी. रामनाथ अर्थर एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, तीसरा संस्करण, 2005 पृष्ठ 315)

5. हमारा संबंध इस पद को समनुदेशित अंतिम विशिष्टीकृत अर्थ से है।

6. उस आशय से जिससे हमारा संबंध है, प्रश्न तब उद्भूत होता है जब कोई ऋणी कोई ऐसा संदाय करता है जिससे पूरे ऋण की तुष्टि नहीं होती या दूसरे शब्दों में, आंशिक संदाय रह जाता है। विनियोजन का साधारण नियम हाल्सबरीज़ लॉज आफ इंग्लैंड, चतुर्थ संस्करण में इस प्रकार उपर्युक्त है :—

“जहाँ किसी ऋणी द्वारा अपने लेनदार को अनेक सुभिन्न ऋण देय हों वहाँ ऋणी को, जब वह कोई संदाय करता है, अपनी इच्छानुसार किसी भी ऋण के लिए धन का विनियोजन कराने का अधिकार होता है और यदि लेनदार धन ले लेता है तो वह उसका उपयोजन ऋणी द्वारा निदेशित रीति में करने के लिए बाध्य होता है। यदि ऋणी संदाय करते समय कोई विनियोजन नहीं करता तो विनियोजन का अधिकार लेनदार को न्यागत हो जाता है।

यह आवश्यक नहीं है कि ऋणी द्वारा विनियोजन अभिव्यक्त निबंधनों में किया जाए किन्तु उसे लेनदार को संसूचित किया जाना चाहिए या वह ऐसा अनुमान लगाने के लिए समर्थ अवश्य होना चाहिए; ऐसा अनुमान वहाँ लगाया जा सकता है जहाँ संव्यवहार की प्रकृति या मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं जिससे यह दर्शित होता है कि विनियोजन कराने का आशय था।”

7. विनियोजन का सिद्धांत चिट्ठी आन कांट्रोक्ट्स 29वां संस्करण, जिल्द 1, पैरा 21-059 में उपर्युक्त है :—

“जहाँ लेनदार को ऋणी से अनेक पृथक्-पृथक् ऋण देय होते हैं, वहाँ ऋणी, कोई संदाय करते समय किसी विशिष्ट ऋण या ऋणों के संदाय मध्ये धन का विनियोजन कर सकेगा और यदि लेनदार इस प्रकार विनियोजित संदाय को स्वीकार कर लेता है तो उसे उसका उपयोजन ऋणी द्वारा निदेशित रीति में करना चाहिए, तथापि यदि

ऋणी संदाय करते समय कोई विनियोजन नहीं करता तो लेनदार ऐसा कर सकेगा ।”

पैरा 21-061 विनियोजन करने के लेनदार के अधिकार के संबंध में है । उसमें यह कहा गया है :—

“जहां ऋणी ने अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया है और उसके विनियोजन का अधिकार लेनदार को न्यायित हो जाता है तो वह उसका प्रयोग ‘अंतिम क्षण तक’ किसी भी समय या जब तक ऐसी कोई बात नहीं हो जाती जो उसके द्वारा प्रयोग करने के लिए उसे असाम्यापूर्ण बना देती है ।”

मूलधन और ब्याज के बीच विनियोजन का प्रश्न पैरा 21-067 में निम्नलिखित शब्दों में उपर्याप्त किया गया है :—

“जहां ब्याज वाले किसी ऋण के मामले में ऋणी या लेनदार द्वारा कोई विनियोजन नहीं किया जाता है वहां विधि (जब तक इसके प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो) उस संदाय का उपयोजन मूलधन की पूर्वतम मद्दों के लिए करने से पूर्व देय किसी ब्याज के उन्मोचन के लिए करेगी ।”

संविदागत संव्यवहारों को शासित करने वाले सुसंगत उपबंध भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 59 से धारा 61 में पाए जाते हैं । पोलॉक एंड मुल्ला कृत इंडियन कांट्रैक्ट एक्ट, 12वां संस्करण के अनुसार, महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि जब कई ऋण एक ही व्यक्ति को देय हो तब ऋणी द्वारा अभिव्यक्त सूचना या ऐसी परिस्थितियों में, जिनसे सूचना विवक्षित होती है, किए गए किसी संदाय का उपयोजन उस रीति में ऋण के उन्मोचन के लिए किया जाना चाहिए, जैसी कि सूचना वी गई है या जो परिस्थितियों से विवक्षित हो सकती है । मुल्ला ने आगे यह मत व्यक्त किया :—

“इंग्लैंड में, ‘क्लेटन वाले मामले के निर्णय से यह साधारण नियम समझा गया कि जब कोई ऋणी कोई संदाय करता है तब वह अपनी इच्छानुसार किसी भी ऋण के लिए उसका विनियोजन कर सकेगा और लेनदार को उसे तदनुसार उपयोजित करना चाहिए । जहां किसी ऋणी द्वारा अपने लेनदार को कई सुभिन्न ऋण देय होते हैं वहां ऋणी को, जब वह कोई संदाय करता है, उस धन का विनियोजन अपनी इच्छानुसार किसी भी ऋण के लिए करने का अधिकार होता है और यदि लेनदार धन ले लेता है तो वह उसका

उपयोजन क्रणी द्वारा निदेशित रीति में करने के लिए बाध्य होता है। यदि क्रणी संदाय करते समय कोई विनियोजन नहीं करता तो विनियोजन करने का अधिकार लेनदार को न्यागत हो जाता है।¹

8. भारत में यथा लागू विनियोजन के नियम का सार मरिमेल्ला सूर्यनारायण बनाम वैकटरमण राव¹ वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय में न्यायमूर्ति टी. एल. वैकटराम अच्यर द्वारा (जैसे कि वे तब थे) दिया गया है। माननीय न्यायमूर्ति ने यह कहा :—

“साधारण विधि के अधीन किसी क्रणी द्वारा किए गए संदायों के विनियोजन को शासित करने वाले सिद्धांत सुस्थापित हैं। जब कोई क्रणी कोई संदाय करता है तो उसे उस रीति में, जो वह विनिश्चित करे, विनियोजन कराने का अधिकार होता है और यदि लेनदार संदाय स्वीकार करता है तो वह क्रणी के निदेशानुसार विनियोजन करने के लिए बाध्य होता है। यही इंग्लैंड में क्लेटन वाले मामले [(1861) 1 मार. 572 = 35 ई. आर. 781] का नियम कहा जाता है और इसे संविदा अधिनियम की धारा 59 में समाविष्ट किया गया है। किन्तु जब क्रणी ने स्वयं कोई विनियोजन नहीं किया है तो यह अधिकार लेनदार को न्यागत हो जाता है जो किसी भी ससाय उसका प्रयोग कर सकता है, देखिए ‘कॉरी ब्रदर्स एंड कंपनी बनाम आनर्स आफ दि टर्किश स्टीमशिप मर्कं (1897) अपील केसेज़ 286; और विचारण के समय भी उसका प्रयोग कर सकता है: देखिए ‘सिमोर बनाम पिकेट, [(1905) 1 के. बी. 715]। यह अधिनियम की धारा 60 है। न्यायालय केवल तभी संविदा अधिनियम की धारा 61 में किए गए उपबंधों के अनुसार संदायों का विनियोजन करता है जब क्रणी या लेनदार द्वारा कोई विनियोजन नहीं किया जाता है।”

9. यह उल्लेखनीय है कि संविदा अधिनियम की धारा 59 से धारा 61 केवल तभी लागू होती है जब किसी क्रणी द्वारा अपने लेनदार को एक से अधिक क्रण देय होते हैं। ये धाराएं तब लागू नहीं होंगी जब केवल एक क्रण देय होता है। न ही ये धाराएं किसी ऐसे मामले में सीधे लागू होती हैं जहां देय क्रण का किसी डिक्री में विलयन हो गया है और तब लागू होने वाला नियम वही होगा जो कि स्वयं डिक्री में उपबंधित है या धन डिक्रियों के निष्पादन में लागू होने वाला साधारण नियम लागू होगा।

¹ ए. आई. आर. 1953 मद्रास 458.

10. अब हम सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संहिता' कहा गया है) के उन उपबंधों पर विचार करेंगे जो इस विवाद्यक से सुसंगत है। न्यायालय में जमा की गई रकमों की बाबत या न्यायालय में किए गए संदाय की बाबत विनियोजन का नियम डिक्री पूर्व प्रक्रम पर संहिता के आदेश 24 में अंतर्विष्ट है और डिक्री के पश्चात् के प्रक्रम पर आदेश 21, नियम 1 में अंतर्विष्ट है। यद्यपि हमारा इनसे सीधा संबंध नहीं है तथापि हम यह अवेक्षा कर सकते हैं कि बंधकों से संबंधित विशेष उपबंध संहिता के आदेश 34 में पाए जाते हैं। आदेश 24 के नियम 1 के अधीन किसी ऋण की वसूली के लिए किसी वाद में प्रतिवादी वाद के किसी भी प्रक्रम में कोई ऐसी धनराशि जमा कर सकेगा जिससे उसके विचार में वादपत्र में दावे की पूर्ण तुष्टि होती हो। उसके नियम 2 में न्यायालय की मार्फत वादी को निक्षेप की सूचना देने और वादी को उन रकमों में से संदाय करने के लिए, यदि वह उसके लिए आवेदन करता है, उपबंध हैं। नियम 3 में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन है कि प्रतिवादी द्वारा निक्षिप्त की गई किसी भी राशि पर वादी को कोई भी ब्याज ऐसे निक्षेप की तारीख से अनुज्ञात नहीं किया जाएगा चाहे निक्षिप्त की गई राशि दावे का पूर्ण उन्मोचन करती हो या उससे कम हो। नियम 4 वादी को भागतः तुष्टि के रूप में निक्षेप प्रतिगृहीत करने के लिए समर्थ बनाता है और खर्चों के बारे में उसमें उपबंधित परिणामों के अध्यधीन उसे उस रकम के लिए अपना वाद आगे चलाने के लिए अनुज्ञात करता है। जिसका दावा वह बकाया देय के रूप में करता है। यह उस प्रक्रिया के संबंध में भी है जब वादी अपने दावे की पूर्ण तुष्टि में संदाय प्रतिगृहीत करता है।

11. आदेश 21 के नियम 1 में किसी डिक्री के अधीन धन के संदाय की रीतियां उपबंधित करता है। इसमें यह अनुबंधित है कि डिक्री के अधीन संदेय सभी धन का (क) उस न्यायालय में, जिसका कर्तव्य उस डिक्री का निष्पादन करना है, जमा करके, या (ख) न्यायालय के बाहर डिक्रीदार को उपबंधित रीति में, या (ग) अन्य रीति से जो वह न्यायालय जिसने डिक्री दी, निदेश दे, संदाय किया जाएगा। उपनियम (2) में यह उपबंध है कि जहां संदाय न्यायालय में जमा करके या डिक्री में यथा-निदेशित रीति में किया जाता है वहां निर्णीत ऋणी डिक्रीदार को उसकी सूचना न्यायालय के माध्यम से देगा या रसीदी-रजिस्ट्री डाक द्वारा सीधे देगा। न्यायालय में जमा करके या डिक्री के अधीन यथा-निदेशित रीति में; रकम संदत्त करने पर ब्याज, यदि कोई हो, उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना की तामील की तारीख से नहीं लगेगा। इस प्रकार आदेश 21, नियम 1 में, वर्ष 1976 में उसके संशोधन के

पश्चात् न्यायालय में डिक्रीत रकम जमा करना और डिक्रीदार को उसकी सूचना देना भी अनुध्यात है और इसके अतिरिक्त, डिक्रीदार को ऐसे निष्केप की सूचना की तारीख से ब्याज न लगने का भी उपबंध है।

12. वर्ष 1976 में, संहिता में संशोधन करने से पूर्व भी यह वृष्टिकोण अपनाया गया कि संहिता के आदेश 24 के नियम 3 द्वारा दिया गया संकेत जिसमें किसी वाद के लंबित रहने पर निष्केप की सूचना देने पर ब्याज न लगने का उपबंध है, डिक्रियों के निष्पादन तक विस्तारित किया जा सकता है। मु. अमतुल हंडीब बनाम मोहम्मद युसुफ¹ वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां निर्णीत ऋणी द्वारा किसी डिक्री की तुष्टि में धन का संदाय किया गया हो वहां संदत्त रकम के अनुपात में संदाय की तारीख से डिक्री पर ब्याज नहीं लगेगा हालांकि हो सकता है ऐसी रकम वस्तुतः डिक्री के अधीन देय पूर्ण रकम न हो। उस मामले में, निर्णीत ऋणियों ने डिक्री की रकम के मद्दे, जिसमें मूलधन, ब्याज और खर्च शामिल थे, ब्याज और खर्चों सहित मूलधन का तीन चौथाई भाग इस अभिवाक् पर जमा करा दिया था कि मूलधन को एक चौथाई भाग उनका अपना है, इस अभिवाक् को उच्च न्यायालय ने उलट दिया और निर्णीत ऋणियों को बकाया एक-चौथाई रकम भी जमा करने के लिए बाध्य किया गया। निष्पादन में यह प्रश्न उद्भूत हुआ कि क्या डिक्रीदार उच्च न्यायालय के इस विनिश्चय के पश्चात् जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संपूर्ण रकम जमा की जानी चाहिए, डिक्री की पूर्ण रकम पर ब्याज का हकदार है या क्या ब्याज संपूर्ण रकम पर प्रभारित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि यह डिक्री की पूर्ण रकम और न्यायालय में उनके द्वारा जमा की गई रकम के बीच अंतर पर ही प्रभारित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रश्न यह था कि क्या निर्णीत ऋणियों को उतनी रकम पर, जो उन्होंने जमा की है, उस निष्केप की तारीख से ब्याज संदत्त करने की बाध्यता से विमुक्त किया जाना चाहिए। निचले न्यायालयों ने इस अभिवाक् को कायम रखा कि ब्याज संपूर्ण रकम पर प्रभारित नहीं किया जाना चाहिए। डिक्रीदार द्वारा अपील करने पर, खंड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया:—

“यह मामला कठिनाई से पूर्णतः परे नहीं है। आदेश 24, नियम (1), (2) और (3) में यह उपबंध है कि किसी वाद की दशा में प्रतिवादी, न्यायालय में धनराशि का संदाय कर सकेगा जिससे उसके विचार में दावे की पूर्ण तुष्टि होती हो। निष्केप की सूचना वादी को दी

¹ आई. एल. आर. 40 इलाहाबाद 125.

जाती है, जो धन निकालने के लिए हकदार होता है, चाहे वह उसे पूर्ण उन्मोचन में प्राप्त करता है अथवा नहीं, वादी को निक्षेप की गई रकम पर कोई ब्याज अनुज्ञात नहीं किया जाता है। न्यायालय के बाहर संदाय करने और निष्पादन मामलों में ब्याज न लगने के बारे में कोई तत्स्थानी उपबंध नहीं है किन्तु इस संबंध में कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि यही बात निष्पादन कार्यवाहियों में क्यों कोई नहीं होनी चाहिए, जैसा कि वादों की दशा में होता है।”

न्यायालय ने, इन तथ्यों और इस स्थिति के प्रति निर्देश करने के पश्चात् कि न्यायालय को रकम जमा किए जाने के तुरंत पश्चात् डिक्री के आंशिक उन्मोचन में डिक्रीदार को धन संदत्त करने का आदेश करना चाहिए था, यह कथन किया,—

“हम यह समझते हैं कि इस मामले में हमें नियमों की ऐसी सादृश्यता लागू करनी चाहिए जिसका संबंध किसी वाद में प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में धन संदत्त करने से है और यह कि इस दृष्टिकोण से निचले न्यायालयों के विनिश्चय सही थे और वे पुष्ट किए जाने चाहिए।”

पटना उच्च न्यायालय द्वारा गोपालजी बनाम सुमृत मंदर¹ वाले मामले में यही मत अपनाया गया था। उपर्युक्त इलाहाबाद वाले मामले में अभिव्यक्त मत का सानुमोदन निर्देश करने के पश्चात् माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया कि उपर्युक्त विनिश्चय से स्पष्टतः यह विवक्षित होता है कि भले ही डिक्रीत रकम का एक भाग संदत्त किया गया हो तो भी वह एक विधिमान्य संदाय होगा। वर्की आसेफ बनाम नारायणन् परमेश्वर पानिकर² वाले मामले में द्रावनकोर्स-कोचीन उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने इलाहाबाद और पटना उच्च न्यायालयों के ऊपर निर्दिष्ट विनिश्चयों और सिविल प्रक्रिया संहिता पर मुल्ला की टीका के सुसंगत प्रभागों के प्रति निर्देश करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसी किसी डिक्री की दशा में, जिसमें मूल रकम पर ब्याज अधिनिर्णीत किया गया हो, आदेश 21 के नियम 1(क) के अधीन न्यायालय ने जमा की गई रकम पर उस तारीख से ब्याज लगना बंद हो जाता है जिस तारीख को डिक्रीदार को निक्षेप की सूचना प्राप्त हो जाती है। सिविल प्रक्रिया संहिता पर मुल्ला की टीका, 15वां संस्करण जिल्द 3 में आदेश 24 के नियम 3 के संबंध में यह कहा गया है:—

¹ ए. आई. आर. 1933 पटना 89.

² ए. आई. आर. 1956 द्रावनकोर्स-कोचीन 46.

“इस नियम का सिद्धांत निष्पादन के अधीन कार्यवाहियों को लागू होता है ; इसलिए यदि किसी निर्णीत ऋणी द्वारा न्यायालय में धन जमा कराया जाता है तो डिक्रीदार को इस प्रकार जमा की गई रकम पर कोई ब्याज अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए भले ही ऐसी रकम वास्तव में डिक्री के अधीन देय पूर्ण रकम न हो ।”

13. अम्तुल बनाम मुहम्मद¹ वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया गया है । हमें इस प्रकार प्रतिपादित सिद्धांत को स्वीकार न करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता ।

14. किसी निर्णीत ऋणी (बंधकदार) द्वारा संहिता के आदेश 21 के नियम 1 के निबंधनानुसार, जैसा कि वह 1976 के अधिनियम सं. 104 द्वारा उसके संशोधन से पूर्व विद्यमान था, डिक्री ऋण मद्दे किए गए निष्केप के प्रभाव पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने मेघराज और अन्य बनाम मुसम्मात बयाबाई और अन्य² वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया :—

“जब तक बंधकदारों को यह सूचित नहीं किया जाता कि बंधकर्ताओं ने केवल मूलधन मद्दे रकमें जमा की हैं न कि ब्याज मद्दे और बंधकदार सशर्त निष्केपों को स्वीकार करते हुए न्यायांलय से रुपया निकालने के लिए राजी नहीं हो जाते तब तक प्रसामाच्य नियम यह है कि न्यायालय में जमा की गई रकमें पहले ब्याज और खर्च चुकाने में और फिर मूलधन चुकाए जाने में लगाई जाएंगी ।

वेंकेटान्नी अप्पा राओ और अन्य बनाम पार्थसार्थी अप्पा राओ (एल. आर. 17 आई. ए. 150) में प्रिवी कौसिल की न्यायिक समिति ने कहा था कि शोध्य मूलधन और ब्याज का हिसाब-किताब करते समय, ऋणी द्वारा किए गए संदायों के संबंध में, जो मूलधन अथवा ब्याज में से किसी के लिए भी विनियोजित न किए गए हों, मामूली नियम यह है कि पहले उन्हें ब्याज चुकाने में लगाया जाना है । बोर्ड का निर्णय देते समय लार्ड बुचमास्टर ने कहा था —

‘शोध्य रकम पर ब्याज लगता है । ऐसी रकमें प्राप्त होती हैं जिनमें निश्चित रूप से यह नहीं बताया जाता कि वे किस मद में विनियोजित की जानी हैं और मामूली मामलों में जो नियम

¹ आई. एल. आर. 40 इलाहाबाद 125.

² [1970] 2 उम. नि. प. 435 = (1969) 2 एस. सी. सी. 274.

भलीभांति स्थिर हो चुका है वह यह है कि उन परिस्थितियों में धन को पहले ब्याज अदा करने में लगाया जाता है और ब्याज चुक जाने पर तत्पश्चात् मूलधन मद्दे यह नियम पार्स बैंकिंग कंपनी बनाम येट्स [(1898) 2 क्यू. बी. 460] के मामले में लार्ड जस्टिस रिगबी के इन शब्दों में निर्दिष्ट किया गया है –

“प्रतिवादी के काउंसेल ने पुराने नियम पर भरोसा किया जो निस्सन्देह कई मामलों में लागू होता है, अर्थात् जहां मूलधन और ब्याज दोनों ही शोध्य हों वहां लेखा मद्दे दी गई धनराशियों को पहले ब्याज मद्दे लगाया जाना चाहिए। वह नियम, जहां भी वह लागू होता हो, सामान्य न्याय है। जहां ऋण पर ब्याज उद्भूत हो चुका है और अदा नहीं किया गया है वहां संदर्भ राशियों को मूलधन मद्दे लगाने से ऋणदाता उस फायदे से वंचित रह जाएगा जिसका वह संविदा के अधीन हकदार है।”

अपीलार्थी की ओर से काउंसेल ने यह दलील दी कि वेंकेटान्नी अप्पा राओ के मामले में ऋणी ने विशेष रूप से कोई विनियोजन नहीं किया था जबकि प्रस्तुत मामले में ऋणी द्वारा विनिर्दिष्ट निदेश दिया गया था। परंतु प्रसामान्य नियम यह है कि ऐसे ऋण की दशा में, जो ब्याज सहित शोध्य है, ऋणी द्वारा किया गया कोई भी संदाय प्रथमतः ब्याज चुकाने के लिए और तत्पश्चात् मूलधन मद्दे लगाया जाएगा। बंधककर्ताओं को यह अभिवचन करना और करार को साबित करना था कि बंधककर्ताओं ने न्यायालय में जो रकमें जमा की थीं उन्हें बंधकदारों ने बंधककर्ताओं द्वारा अधिरोपित शर्त के अध्यधीन मंजूर किया था।”

15. इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड डेवेलपमेंट सिंडीकेट, जिसे अब आई. सी. डी. एस. लिमिटेड कहा जाता है बनाम स्मिताबेन एच. पटेल (श्रीमती) और अन्य¹ वाले मामले में इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या संविदा अधिनियम की धारा 59 से धारा 61 किसी ऐसे ऋण को लागू होंगी जिसका किसी डिक्री में विलयन हो गया है। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविदा अधिनियम की धारा 59 और धारा 60 केवल डिक्री-पूर्व प्रक्रम पर लागू होंगी न कि उसके पश्चात् चूंकि डिक्री

¹ [1999] 1 एस. सी. आर. 555.

के पश्चात् संदाय या तो डिक्री के निबंधनों के अनुसार या पक्षकारों के बीच हुए करार के निबंधनों के अनुसार किए जाने होते हैं यद्यपि ये संविदा अधिनियम की धारा 59 और धारा 60 में यथा-उल्लिखित साधारण सिद्धांत के आधार पर होते हैं। यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि डिक्रीत रकम मद्दे विनियोजन का साधारण नियम यह है कि ऐसी रकम का समायोजन डिक्री में अंतर्विष्ट निदेशों के अनुसार ही किया जाना था और ऐसे निदेश के अभाव में प्रथमतः ब्याज और खर्चों के संदाय मद्दे समायोजन किया जाएगा और उसके पश्चात् मूलधन की रकम के संदाय मद्दे किया जाएगा किन्तु निस्संदेह यह पक्षकारों के बीच हुए किसी करार के अध्यधीन होगा।

16. अब हम संहिता के आदेश 34 का उल्लेख करेंगे जो कि बंधक डिक्रियों के निष्पादन के संबंध में है। आदेश 34 के नियम 10 में डिक्री के पश्चात् बंधकदार के खर्चों के लिए उपबंध है और यह न्यायालय को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह बंधकदार को ऐसे वाद के खर्चे और अन्य खर्चे, प्रभार और व्यय, जो पुरोबंध, विक्रय या मोचन के लिए प्रारंभिक डिक्री की तारीख से वास्तविक संदाय के समय तक उसके द्वारा समुचित रूप से उपगत किए गए हैं, बंधक धन में जोड़ दे। नियम 11 के अधीन न्यायालय, जहां ब्याज वैध रूप से वसूलीय हो, उस नियम में यथा-उपबंधित रूप में बंधकदार को ब्याज संदर्त करने का आदेश दे सकेगा। नियम 12 पूर्विक बंधक के अधीन संपत्ति के विक्रय के संबंध में है और इसमें उक्त आगमों में से पूर्विक बंधकदार को विक्रय आगमों में उसी हित का संदाय करने का उपबंध है जो विक्रीत संपत्ति में उसका था। नियम 13 के अधीन आगम न्यायालय में लाए जाने के पश्चात् निधियों के उपयोजन का नियम उपर्युक्त है। रकम का उपयोजन प्रथमतः, विक्रय से आनुषंगिक या किसी प्रयत्नित विक्रय में उचित रूप से उपगत व्ययों का संदाय करने में; द्वितीयतः, पूर्विक बंधक मद्दे जो कुछ पूर्विक बंधकदार को शोध्य है, उसका और उसके बारे में उचित रूप से उपगत खर्चों का संदाय करने में; तृतीयतः, जिस बंधक के परिणामस्वरूप विक्रय-निर्दिष्ट किया गया था, उस मद्दे शोध्य सभी ब्याज का और उस वाद में के जिसमें कि विक्रय का निदेश देने वाली डिक्री पारित की गई थी, खर्चों का संदाय करने में; चतुर्थतः, उस बंधक मद्दे शोध्य मूलधन का संदाय करने में, तथा अंततः यदि कुछ अवशिष्ट रहे तो वह उस व्यक्ति को जो यह साबित कर दे कि विक्रीत संपत्ति में वह हितबद्ध है, या यदि ऐसे व्यक्ति एक से अधिक हैं तो ऐसे व्यक्तियों को उस संपत्ति में अपने-अपने हितों के अनुसार या उनकी संयुक्त रसीद पर दे दी जाएगी, किया जाएगा।

उपनियम (2) के अधीन यह स्पष्ट किया गया है कि उस नियम की या नियम 12 की कोई बात संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

17. जय राम बनाम सुलाखन मल¹ वाले मामले में लाहौर उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने इस स्थिति पर विस्तार से विचार किया। वह एक ऐसा मामला था जिसमें संपत्ति का विक्रय बंधक डिक्री के निष्पादन में किया गया था और प्रश्न न्यायालय में लाए गए विक्रय आगमों के विनियोजन के बारे में था। विनियोजन की पद्धति के संबंध में उस न्यायालय के विनिश्चयों में विरोधाभास होने के कारण यह प्रश्न पूर्ण न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया गया था। पूर्ण न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविदा अधिनियम की धारा 59 से धारा 61 में ऐसे मामलों में, जहां ऋणी द्वारा एक व्यक्ति को कई ऋण देय है और वह स्वेच्छया संदाय करता है, किए गए संदायों के विनियोजन के बारे में साधारण नियम समाविष्ट हैं। ये धाराएं ऐसे मामलों के संबंध में लागू नहीं होती जिनमें किसी एक ही ऋण पर मूलधन और ब्याज देय है या ऐसे किसी ऋण के बारे में डिक्री पारित की गई है, जिसमें डिक्री के अधीन देय रूप में निर्णीत धनराशि पर ब्याज लगना है। इस प्रकार निष्कर्ष निकालने के पश्चात् कि संविदा अधिनियम की धारा 59 से धारा 61 लागू नहीं होती, पूर्ण न्यायपीठ ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि ऋण मद्दे संदायों के उपयोजन का साधारण नियम यह है कि ऋणी द्वारा इसके प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट संकेत के अभाव में प्रथमतः रकम का उपयोजन ब्याज के संदाय में और उसके पश्चात् जब उसकी तुष्टि हो जाती है तो पूंजी के संदाय में करना होता है। वह सिद्धांत किसी बंधक डिक्री के निष्पादन में विक्रीत संपत्तियों के विक्रय आगम को भी लागू होता है। अतः डिक्री में इसके प्रतिकूल किसी निदेश के अभाव में किसी बंधक डिक्री के निष्पादन में विक्रीत संपत्तियों के विक्रय आगमों का उपयोजन प्रथमतः पश्चात् वर्ती ब्याज और खर्चों का संदाय करने में किया जाना चाहिए और उसके पश्चात् अतिशेष का उपयोजन डिक्री में संदेय के रूप में घोषित मूल धन के उन्मोचन के लिए किया जाना चाहिए। संहिता के आदेश 34 के नियम 12 और 13 के प्रति निर्देश करते हुए यह कहा गया :—

“यह दृष्टव्य है कि उस मामले में, जिसमें इस नियम के अधीन कार्यवाही की गई, पूर्विक बंधकदार को पूर्ण संदाय करने के पश्चात्

¹ ए. आई. आर. 1941 लाहौर 386.

अतिशेष का उपयोजन प्रथमतः उस बंधक पर, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति का विक्रय किया गया था, देय ब्याज का संदाय करने के लिए और शेष रकम का उपयोजन मूलधन के संदाय में किया जाना है। यह साधारण नियम के अनुरूप है और जब संपत्ति किसी पूर्विक बंधक के अध्यधीन नहीं है तो इस संबंध में कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि क्यों इससे भिन्न 'सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए ।'

18. संहिता के आदेश 34 में ऐसी दशा में विनियोजन की स्कीम अंतर्विष्ट है जहां उस आदेश के नियम 12 और 13 लागू होते हैं और ऐसा पूर्विक बंधक है जिसकी तुष्टि की जानी शेष है। लाहौर उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय में निर्दिष्ट विनिश्चय में लाहौर उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण यह था कि इससे प्रतिकूल किसी सुभिन्न आदेश के अभाव में न्यायालय को सामान्यतः विधि के उस नियम का, जो डिक्रीदार को विक्रय आगम सौंपने के मामले में लागू होता है और अनुसृत विनिश्चय में यथा-निर्दिष्ट विनियोजन के नियम का अनुसरण करना चाहिए। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या संहिता के आदेश 21 के नियम 1 में अंतर्विष्ट विनिर्दिष्ट उपबंध को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से 1976 के अधिनियम सं. 104 द्वारा उसके संशोधन के पश्चात् वहीं सिद्धांत लागू किया जा सकता है। उस नियम में किसी डिक्री के अधीन धन के संदाय की रीतियों के बारे में उपबंध है। वे रीतियां इस प्रकार हैं—
(क) उस न्यायालय में, जिसका कर्तव्य उस डिक्री का निष्पादन करना है, या (ख) न्यायालय के बाहर डिक्रीदार को उपबंधित रीति में, या (ग) अन्य रीति से जो वह न्यायालय, जिसने डिक्री की निदेश दे, जमा करके। हमारे प्रयोजन के लिए नियम (4) और (5) सुसंगत प्रतीत होते हैं। वे इस प्रकार है :—

"(4) उपनियम (1) खंड (क) या खंड (ग) के अधीन संदत्त किसी रकम पर ब्याज, यदि कोई हो, उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना की तारीख से नहीं लगेगा।

(5) उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन संदत्त किसी रकम पर ब्याज, यदि कोई हो, ऐसे संदाय की तारीख से नहीं लगेगा :

परंतु जहां डिक्रीदार मनीआर्डर या बैंक के माध्यम से संदाय स्वीकार करने से इनकार करता है वहां ब्याज, उस तारीख से, जिसको धन उसे निविदत्त किया गया था, नहीं लगेगा अथवा जहां वह मनीआर्डर या बैंक के माध्यम से किए गए संदाय को स्वीकार

करने से बचता है, वहां ब्याज उस तारीख से, जिसको धन उसे यथास्थिति, डाक प्राधिकारियों के या बैंक के कारबार के मामूली अनुक्रम में दिया गया होता, नहीं लगेगा ।”

19. ऐसा प्रतीत होता है कि ये उपनियम संहिता के आदेश 24 की स्कीम, जो बाद के लंबित रहने पर न्यायालय में संदाय करने के संबंध में है, विशेषकर उसके नियम 3 से संगत है, जिसमें यह उपबंध है कि प्रतिवादी द्वारा निक्षिप्त की गई किसी भी राशि पर वादी को कोई भी ब्याज निक्षेप की सूचना तारीख से अनुज्ञात नहीं किया जाएगा चाहे निक्षिप्त की गई राशि दावे की पूर्ण तुष्टि करती हो या उससे कम हो ।

20. आदेश 21 के नियम 1 के संशोधन से संबंधित उद्देश्यों और कारणों में निम्न प्रकार उपवर्णित किया गया था :—

“समिति ने यह पाया है कि संहिता में किसी डिक्री के अधीन, न्यायालय के बाहर डिक्रीदार को मनीआर्डर द्वारा या किसी बैंक के माध्यम से या किसी अन्य रीति से जिसमें संदाय का लिखित स्नाक्षण्य हो, संदत्त धन पर ब्याज न लगने के संबंध में कोई उपबंध नहीं है । समिति का यह मत है कि ऐसी दशा में ब्याज ऐसे संदाय की तारीख से नहीं लगना चाहिए । यदि डिक्रीदार मनीआर्डर या बैंक के माध्यम से संदाय स्वीकार करने से इनकार करता है तो ब्याज उस तारीख से, जिसको धन उसे डाक प्राधिकारियों के या बैंक के कारबार के मामूली अनुक्रम में दिया गया था, नहीं लगना चाहिए । आदेश 21 के नियम 1 में उपनियम (5) तदनुसार अंतःस्थापित किया गया है ।”

अतः, उपनियम (4) और (5) को अधिनियमित करने में विधायी आशय स्पष्ट है और वह यह है कि निक्षेप करने और सूचना देने पर या विहित रीति में न्यायालय के बाहर निवित्त की गई रकम पर ब्याज नहीं लगना चाहिए । मुल्ला ने संहिता, 15वां संस्करण, खंड II पृष्ठ 1583 पर अपनी टीका में नियमों के प्रभाव को निम्न रूप से उपवर्णित किया है :—

“धन डिक्री की बाबत प्रसामान्य नियम यह है (i) प्रथमतः ब्याज की तुष्टि मद्दे संदायों का विनियोजन और (ii) उसके बाद मूल रकम मद्दे विनियोजन । किन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 1 के संशोधन के पश्चात् यह अनिवार्य हो गया । उपर्युक्त प्रसामान्य नियम लागू करने के लिए संविदा अधिनियम की धारा 60 का अवलंब नहीं लिया जा सकता है ।”

21. इस प्रकार, धन डिक्रियों या अधिनिर्णय डिक्रियों या एक हद तक बंधक डिक्रियों से भिन्न डिक्रियों के निष्पादन के मामलों में जमा की गई रकम पर निषेप की सीमा तक ब्याज नहीं लगता। यह सही है कि यदि रकम कम होती है तो डिक्रीदार उस रकम को पहले ब्याज मद्दे, उसके बाद खर्च मद्दे और उसके पश्चात् डिक्री के अधीन देय मूल रकम मद्दे विनियोजित कराकर विनियोजन के नियम को लागू कराने का हकदार हो सकेगा। किन्तु तथ्य यही रहता है कि निषेप की सीमा तक डिक्रीदार को उस पर कोई और ब्याज संदेय नहीं है और डिक्रीदार द्वारा तब पुनर्विनियोजन का दावा करने का प्रश्न ही नहीं उठता जब यह पाया जाता है कि उससे अधिक रकम देय है और निर्णीत ऋणी द्वारा वह भी जमा करा दी जाती है। दूसरे शब्दों में, स्कीम में तुष्टि के मामले को उस सीमा तक फिर से खोलना अनुद्यात नहीं है जिस तक निषेप द्वारा वह पूरा हो गया है। मूलधन मद्दे विनियोजित रकम पर कोई और ब्याज नहीं लगेगा।

22. दृष्टांतस्वरूप हम निम्नलिखित स्थिति पर विचार कर सकते हैं। मान लीजिए, विचारण न्यायालय द्वारा ब्याज और खर्च सहित 5,000 रुपए की राशि के लिए डिक्री पारित की जाती है और निर्णीत ऋणी उसे जमा करा देता है और संहिता के आदेश 21 के नियम 2 के अधीन निष्पादन न्यायालय में समावेदन करके या संहिता के आदेश 21 के नियम 1 के अधीन डिक्रीदार द्वारा चलाई गई निष्पादन कार्यवाही में निषेप करके डिक्रीदार को सूचना दे देता है। डिक्रीदार विचारण न्यायालय की डिक्री से संतुष्ट नहीं होता। वह अपील फाइल करता है और अपील न्यायालय ब्याज और खर्च सहित डिक्री की रकम बढ़ाकर 10,000 रुपए कर देता है। आदेश 24 की पृष्ठभूमि में आदेश 21 के नियम 1 के निवंधनानुसार, जैसा कि वह अब विद्यमान है, नियम स्पष्ट रूप से यह होगा कि निर्णीत ऋणी की अतिरिक्त बाध्यता केवल यह है कि वह अपील न्यायालय द्वारा डिक्री की गई 5,000 रुपए की अतिरिक्त रकम, उस पर ब्याज देय अभिनिर्धारित किए जाने की तारीख से ब्याज और अपील के खर्च सहित जमा करे। डिक्रीदार यह कहने का हकदार नहीं होगा कि वह विचारण न्यायालय द्वारा डिक्रीत और अपील न्यायालय द्वारा रकम में वृद्धि करने से पूर्व निर्णीत ऋणी द्वारा जमा कराई गई 5,000 रुपए की राशि पर भी अतिरिक्त ब्याज प्राप्त कर सकता है या यह कि वह संव्यवहार को फिर से चालू कर सकता है और पहले 10,000 रुपए पर ब्याज, खर्च और उसके पश्चात् मूलधन का पुनर्विनियोजन करे सकता है और शेष संपूर्ण धनराशि पर पुनः ब्याज का दावा कर सकता है। निश्चित रूप से,

दोनों प्रक्रमों पर यदि निक्षेप कम हो जाता है तो डिक्रीदार निक्षेप का उपयोजन पहले व्याज मद्दे उसके बाद खर्चों मद्दे और शेष रकम का मूलधन मद्दे करने का हकदार हो सकता है। किन्तु वह ऐसा कथन करने से भिन्न है कि निर्णीत ऋणी विचारण न्यायालय द्वारा डिक्रीत रकम जमा कर देने के बावजूद संपूर्ण मूल रकम पर व्याज के लिए दायी होगा यदि अपील न्यायालय उसमें वृद्धि करता है और वर्धित रकम पर व्याज अधिनिर्णीत करता है। धन डिक्रियों के निष्पादन के संबंध में यह स्थिति 1976 के अधिनियम सं. 104 द्वारा आदेश 21 के नियम 1 में किए गए संशोधनों से अब स्पष्ट हो गई है। यह तर्क संहिता के आदेश 24 के नियम 1 से नियम 4 के संदर्भ में अर्थ लगाने पर आदेश 21 के नियम 1 की स्कीम के आधार पर न्यायोचित नहीं है कि अपील न्यायालय द्वारा जो रकम अधिनिर्णीत की गई है वही रकम विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत की जानी चाहिए और इस प्रकार अवलोकन करने पर जब तक संपूर्ण मूलधन संदत्त नहीं कर दिया जाता तब तक डिक्रीदार अपील न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत रकम पर व्याज का हकदार होगा और इसलिए वह विचारण न्यायालय की डिक्री के अनुसरण में निर्णीत ऋणी द्वारा जमा की गई रकम को प्रथमतः दोनों न्यायालयों में हुए खर्चों मद्दे, संपूर्ण रकम पर देय व्याज मद्दे और इसके पश्चात् ही मूलधन मद्दे जमा कराकर पुनर्विनियोजन कराने की ईस्पा कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्धांत यह है कि यदि मूलधन के एक भाग का संदाय निक्षेप की सूचना जारी करने की तारीख तक उस पर देय व्याज सहित कर दिया गया है तो उसके पश्चात् मूल राशि के उस भाग पर व्याज नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों में, निर्णीत ऋणी की मूलधन के उस भाग पर, जिसका उसने पहले ही संदाय या निक्षेप कर दिया है, व्याज संदत्त करने की कोई बाध्यता नहीं है।

23. इस सिद्धांत के आधार पर और इस समय भूमि अर्जन अधिनियम की स्कीम को अपवर्जित करते हुए, हमें यह प्रतीत होता है कि दावेदार, अधिनियम की धारा 31 के साथ पठित धारा 11 के निबंधनानुसार कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत रकम का संदाय या निक्षेप कर देने के पश्चात् प्रतिकर के उस भाग पर, जो उसे संदत्त कर दिया गया है या उसे संदाय करने के लिए जमा करा दिया गया है, उसे निक्षेप की सूचना देने के पश्चात् किसी व्याज का दावा नहीं कर सकता। इसके पश्चात्, जब निर्देश न्यायालय अधिनियम की धारा 23 (1क) के अधीन तोषण और व्याज में परिणामिक वृद्धि सहित प्रतिकर में वृद्धि करता है और इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 28 के निबंधनानुसार बढ़ाए गए प्रतिकर पर व्याज अधिनिर्णीत करता

है तो दावेदार/डिक्रीदार उस अधिनिर्णय डिक्री के अनुसरण में जमा की गई रकमों का निर्देश न्यायालय द्वारा इस प्रकार अधिनिर्णीत वर्धित रकम मद्दे ही विनियोजन करने की ईप्सा कर सकता है। विनियोजन करते समय वह जमा की गई रकम का पहले अपने दावे की तुष्टि के लिए बढ़ाई गई रकम पर ब्याज, अधिनिर्णीत खर्च, यदि कोई हो, के लिए और शेष रकम का भूमि के मूल्य, तोषण और अधिनियम की धारा 23(1क) के अधीन संदाय मद्दे उपयोजन कर सकता है और यदि रकम कम होती है तो प्रतिकर के उस भाग का उस पर अधिनियम की धारा 28 के उपबंधों के अनुसार और अधिनिर्णय डिक्री के अंतर्गत आने वाले ब्याज सहित दावा कर सकता है। जब निर्देश न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई राशि राज्य द्वारा ब्याज सहित जमा करा दी जाती है तब दावेदार/अधिनिर्णीत व्यक्ति कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत रकम को, जो निर्देश न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत रकम द्वारा प्रतिस्थापित की गई हो, नए सिरे से उपयोजित करने की ईप्सा नहीं कर सकेगा और उस रकम का पुनर्विनियोजन देय रकम मद्दे करने की ईप्सा नहीं कर सकेगा। ऐसे मामले में भी यही स्थिति होगी जहां निर्देश न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत रकम ब्याज सहित जमा कर दी जाती है किन्तु वहं रकम अपील में उच्च न्यायालय द्वारा और बढ़ा दी जाती है। यही सिद्धांत तब भी लागू होगा जब उच्चतम न्यायालय में आगे अपील करने पर और वृद्धि अधिनिर्णीत कर दी जाती है। किन्तु यदि निर्देश न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय किए जाने के पश्चात् राज्य द्वारा रकम जमा नहीं कराई जाती तो अधिनियम की धारा 28 के निबंधनानुसार प्रतिकर पर धारा 28 में यथा-उपबंधित रकम पर ब्याज लगेगा। उच्च न्यायालय द्वारा अपील में की गई वृद्धि और उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील में की गई वृद्धि के बारे में भी यही स्थिति होगी। धारा 34 और धारा 28 की यह आज्ञा कि ब्याज उस तारीख से जब कलक्टर कब्जा ले लेता है उन धाराओं के उपबंधों के अनुसार विशिष्ट रकम जमा कराने तक ब्याज लगेगा, यह सुनिश्चित करती है कि दावेदार की पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति की जाए। धारा 28, प्रतिकर में वृद्धि के प्रत्येक प्रक्रम पर ऐसी क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करती है।

24. भद्र हम 1984 के भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम सं. 48 द्वारा यथा-संशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की स्कीम पर विचार करेंगे। अंधिनियम की धारा 4 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् और आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् अधिनियम की धारा 6 के अधीन एक घोषणा करनी होती है। इसके पश्चात् कलक्टर समुचित

सरकार या सरकार द्वारा तन्निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से अर्जन के लिए आदेश लेता है। कलक्टर को, अनुध्यात औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् और अधिनियम की धारा 11 के अनुसार जांच करने के पश्चात् अधिनिर्णय करना होता है, जिसमें भूमि का सही क्षेत्रफल, वह प्रतिकर, जो उसकी राय में भूमि के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए, उन व्यक्तियों में, जिनके संबंध में यह ज्ञात है या विश्वास किया जाता है कि वे भूमि में हितबद्ध हैं, प्रतिकर का प्रभाजन उपदर्शित किया जाएगा। अधिनिर्णय करते समय कलक्टर धारा 23 और धारा 24 से मार्गदर्शन लेगा जो प्रतिकर अवधारित करने में विचार में ली जाने वाली बातों और प्रतिकर अवधारित करने में अपवर्जित की जाने वाली बातों के संबंध में हैं जैसा कि अधिनियम की धारा 15 द्वारा व्यादिष्ट है। अधिनियम की धारा 12 के अधीन अधिनिर्णय कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों के मध्य अंतिम हो जाता है और कलक्टर को अपने अधिनिर्णय की सूचना हितबद्ध व्यक्तियों को देनी होती है। अधिनिर्णय करने पर कलक्टर अधिनियम की धारा 16 के निबंधनानुसार भूमि का कब्जा ले सकेगा। धारा 31 के अधीन, कलक्टर धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय देने पर अपने द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर के लिए हकदार हितबद्ध व्यक्तियों को उस प्रतिकर का संदाय अधिनिर्णय के अनुसार निविदत्त करेगा और जब तक स्वयं धारा 31 में निर्दिष्ट आकस्मिकताओं द्वारा निवारित न किया गया हो उनको वह प्रतिकर देगा। अधिनियम की धारा 34 के अधीन जब अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम भूमि का कब्जा लेने पर या उसके पूर्व न तो संदत्त की जाती है और न ही निक्षिप्त की जाती है तब कलक्टर अधिनिर्णीत रकम, कब्जा लेने के समय से लेकर उतनी कालावधि तक के, जब तक वह संदत्त या निक्षिप्त नहीं की जाती, नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उस पर ब्याज सहित देगा। किन्तु यदि प्रतिकर या उसका कोई भाग उस तारीख से, जिसको कब्जा लिया जाता है, एक वर्ष की कालावधि के भीतर संदत्त नहीं किया जाता है तो प्रतिकर की रकम या उसके भाग पर जो ऐसे अवसान की तारीख के पूर्व संदत्त या निक्षिप्त नहीं किया गया है, एक वर्ष की उक्त कालावधि के अवसान की तारीख से पंद्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संदेय होता है। यह अवेक्षा करना सुसंगत है कि इस प्रकार देय रकमों का संदाय करने पर कलक्टर के अधिनिर्णय की तुष्टि हो जाती है।

25. कोई हितबद्ध व्यक्ति, जो कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम से संतुष्ट नहीं है, वह रकम विरोध करते हुए प्राप्त करने का हकदार

है और कलक्टर से यह अपेक्षा करते हुए उसके समक्ष ओवेदन कर सकेगा कि अधिनियम की धारा 18 के निबंधनानुसार मामला न्यायालय को निर्देशित किया जाए। कलक्टर को इसके पश्चात् न्यायालय में एक कथन करना होता है और न्यायालय अधिनियम की धारा 25 के अधीन रहते हुए प्रतिकर नियत करने का हकदार होता है, जिसमें यह उपबंध है कि न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम कलक्टर द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिनिर्णीत रकम से कम नहीं होगी। प्रतिकर नियत करने में न्यायालय अधिनियम की धारा 23 और धारा 24 में निर्दिष्ट बातों को विचार में लेगा। धारा 26 के अधीन प्रत्येक अधिनिर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) के अर्थात्तर्गत डिक्री समझा जाएगा और प्रत्येक तर्कसंगत अधिनिर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(9) में यथापरिभाषित निर्णय समझा जाएगा। अधिनियम की धारा 27 के अधीन, न्यायालय द्वारा किए गए प्रत्येक अधिनिर्णय में, न्यायालय की कार्यवाहियों में उपगत खर्चों, वृद्धि के लिए हकदार पाएं गए दावेदार के खर्चों, जो कि मामूली तौर से कलक्टर द्वारा वहन किए जाएंगे, के बारे में निदेश भी समाविष्ट होंगे। अधिनियम की धारा 28 के अधीन वह न्यायालय, जिसने उस राशि से, जो कलक्टर ने प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की है, अधिक प्रतिकर अधिनिर्णीत किया है, यह निदेश दे सकेगा कि कलक्टर ऐसे आधिक्य पर उस तारीख से, जिसको उसने भूमि का कब्जा लिया था, ऐसा आधिक्य न्यायालय में जमा किए जाने की तारीख तक नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देगा। परंतुक में न्यायालय को यह निदेश देने के लिए आदिष्ट किया गया है कि जहां ऐसे आधिक्य या उसके किसी भाग को ऐसी तारीख से, जिसको कब्जा लिया जाता है, एक वर्ष की कालावधि के अवसान की तारीख के पश्चात् न्यायालय में जमा किया जाता है वहां ऐसे आधिक्य की रकम या उसके भाग पर, जो ऐसे अवसान की तारीख के पूर्व न्यायालय में जमा नहीं किया गया है, एक वर्ष की उक्त कालावधि के अवसान की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संदेय होगा। दो पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात यह है कि ब्याज केवल निर्देश न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की आधिक्य रकम पर ही संदेय होता है और दूसरी बात यह है कि अधिनिर्णीत वर्धित रकम पर ब्याज कब्जा लेने की तारीख से कब्जा लेने के पश्चात् प्रथम वर्ष के लिए नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संदेय है और उसके पश्चात् आधिक्य जमा किए जाने तक पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संदेय है। इससे स्पष्ट है कि अधिनिर्णय के अनुसरण में पहले

किए विनियोजन पर फिर से विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण कारक यह है कि अधिनिर्णय में पृथक्तः भूमि के बाजार मूल्य के रूप में अधिनिर्णीत रकम और धारा 23(1) के अन्य शीर्षों के अधीन अधिनिर्णीत कोई अन्य रकम, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए।

26. अधिनियम की धारा 54 के अधीन ऐसे व्यक्ति को, जो अधिनियम की धारा 18 के अधीन निर्देश करने पर उसके पक्ष में की गई वृद्धि संबंधी डिक्री से अब भी संतुष्ट नहीं है, उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने और ऐसी अपील में उच्च न्यायालय के विनिश्चय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल करने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि अधिनियम की धारा 3(घ) में आने वाली 'न्यायालय' की परिभाषा के अनुसार कार्यवाही की जाए तो आधिक्य प्रतिकर पर ब्याज के संदाय के लिए उपबंध करने वाली धारा 28, अधिनियम की धारा 54 के अधीन अपील में उच्च न्यायालय द्वारा या पश्चात् वर्ती अपील में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत आधिक्य पर, यदि कोई हो, लागू नहीं हो सकेगी। किन्तु जब अधिनियम की धारा 54 के अधीन किसी अपील में, अपील न्यायालय प्रतिकर में और वृद्धि करता है, वह उतना प्रतिकर अधिनिर्णीत करता है जो निर्देश न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया जाना चाहिए था और ऐसा समझा जाता है तब अधिनियम की धारा 28 अपीली प्रक्रम पर लागू की जा सकेगी। यदि अधिनियम की धारा 28 में प्रयुक्त 'न्यायालय' अभिव्यक्ति को सामान्य अर्थ में (उस आधार पर जो संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो) समझा जाए तो परिणाम वही होगा। अन्य उपबंध, जिस पर ध्यान देना सुसंगत है, वह अधिनियम की धारा 53 है जो सिविल प्रक्रिया संहिता को अधिनियम के अधीन न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों को वहां तक के सिवाय लागू करती है जहां तक कि वे इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात से असंगत न हों। धारा 54 भी संहिता को अपवर्जित नहीं करती बल्कि उसके अधीन की गई अपील को मूल डिक्रियों के विरुद्ध की गई अपीलों को लागू संहिता के उपबंधों के अंधधीन बनाती है।

27. अधिनियम की स्कीम के आधार पर यह दृष्टव्य है कि प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के भिन्न-भिन्न प्रक्रम है। प्रथम प्रक्रम तब उद्भूत होता है जब अधिनिर्णय पारित किया जाता है। स्पष्टतः, अधिनिर्णय के अंतर्गत अधिनियम की धारा 23(1), अधिनियम की धारा 23(1क), अधिनियम की धारा 23(2) द्वारा अनुध्यात सभी रकमें और अधिनियम की धारा 34 द्वारा अनुध्यात ब्याज आता है। वह संपूर्ण रकम कलक्टर द्वारा अधिनियम की

धारा 31 के निबंधनानुसार संदर्भ या निष्क्रिप्त की जाती है। इस प्रक्रम पर निष्क्रेप में कोई कमी अनुध्यात नहीं है चूंकि कलक्टर को स्वयं द्वारा अधिनिर्णीत रकम संदर्भ या निष्क्रिप्त करनी होती है। यदि कोई कमी इंगित की जाती है तो उसकी पूर्ति उस प्रक्रम पर करनी होगी और विनियोजन का सिद्धांत लागू हो सकता है हालांकि उस प्रक्रम पर आंशिक निष्क्रेप अनुध्यात करना कठिन है। अधिनियम की धारा 31 के अधीन कलक्टर द्वारा निष्क्रेप करने पर दावेदार द्वारा निष्क्रेप की सूचना प्राप्त करने और विरोध करते हुए या विरोध के बिना रकम निकालने या प्रतिगृहीत करने के अधिकार के अधीन रहते हुए प्रथम प्रक्रम समाप्त हो जाता है।

28. दूसरा प्रक्रम अधिनियम की धारा 18 के अधीन निर्देश करने पर उद्भूत होता है। जब निर्देश न्यायालय वर्धित प्रतिकर अधिनिर्णीत करता है तब उसे धारा 23(1), धारा 23(1क), धारा 23(2) के अधीन संदेय वर्धित रकमों और अधिनियम की धारा 28 में यथा-उपबंधित वर्धित रकम पर ब्याज और धारा 27 के निबंधनानुसार खर्चों का भी आवश्यक रूप से ध्यान रखना होगा। कलक्टर का यह कर्तव्य है कि वह इस प्रकार पारित की गई मानित डिक्री के अनुसरण में ये रकमें जमा करे। इसका पहले से किए गए या अधिनिर्णय के पश्चात् किए जाने वाले निष्क्रेप से कोई संबंध नहीं है। यदि किया गया निष्क्रेप डिक्री की गई वृद्धि से कम होता है तो उस प्रक्रम पर निर्देश पर वर्धित रकम के संबंध में विनियोजन का प्रश्न उद्भूत हो सकता है।

29. तीसरा प्रक्रम तब आता है जब अपील में उच्च न्यायालय, जैसा कि पहले उपदर्शित किया गया है, प्रतिकर में वृद्धि करता है। वर्धित प्रतिकर पर जब धारा 28 लागू की जाती है तब प्रतिकर के वर्धित भाग पर ब्याज भी लगेगा। इस प्रकार, संगणित वर्धित रकम, निर्देश न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत रकम के अतिरिक्त, यदि वह पहले ही जमा नहीं की गई है, जमा करनी होगी।

30. चौथा प्रक्रम वह हो सकता है जब उच्चतम न्यायालय प्रतिकर में वृद्धि करता है और उस प्रक्रम पर भी वही नियम लागू होगा।

31. क्या कोई ऐसा दावेदार या डिक्रीदार, जिसने निर्देश न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत समस्त रकम प्राप्त की है या जिसे इस प्रकार अधिनिर्णीत समस्त रकम जमा किए जाने की सूचना है, उस रकम पर जो उसने पहले ही प्राप्त कर ली है, मात्र इस कारण ब्याज का दावा कर सकता है क्योंकि अपील

न्यायालय ने प्रतिकर में वृद्धि कर दी है और अतिरिक्त प्रतिकर संदेय बना दिया है ? हमने यह इंगित करने के लिए संहिता के आदेश 21 और आदेश 24 के प्रति पहले ही निर्देश कर दिया है कि किसी धन डिक्री के संबंध में भी संव्यवहार के बारे में इस प्रकार व्यापक रूप से फिर से विचार करना अपेक्षित नहीं है । अधिनियम की धारा 28 में यह उपदर्शित किया गया है कि ब्याज अधिनिर्णीत करना अधिनिर्णीत आधिक्य प्रतिकर तक सीमित है और वह बेकब्जा करने की जारीख से संदर्भ किया जाना है । यह उस स्थिति के अनुरूप है कि अधिनियम की स्कीम द्वारा नए सिरे से पुनर्विनियोजन अनुद्यात या अपेक्षित नहीं है । किन्तु यदि किसी प्रक्रम पर कोई कमी होती है तो दावेदार या डिक्रीदार उस रकम की बाबत जब तक डिक्री में अन्यथा निर्देशित न हो, पहले ब्याज और खर्च मध्दे और उसके बाद मूलधन मध्दे विनियोजन का नियम लागू करने की ईप्सा कर सकता है ।

32. उपर्युक्त सुन्दर बनाम भारत संघ वाले मामले में इस न्यायालय ने यह प्रश्न उठाया कि अधिनिर्णीत “प्रतिकर” से क्या अभिप्राय है । न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला :—

“हम यह स्पष्ट करते हैं कि अधिनिर्णीत प्रतिकर के अंतर्गत न केवल धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसार निकाली गई कुल राशि आएगी बल्कि उसकी शेष उपधाराओं के अधीन निकाली गई राशि भी आएगी । इस प्रकार, धारा 34 से यह स्पष्ट है कि “अधिनिर्णीत रकम” से धारा 23 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार जिसके अंतर्गत उसकी सभी उपधाराएं आती हैं, निकाली गई प्रतिकर की रकम अभिप्रेत होगी ।”

इससे यह दर्शित होता है कि एक ओर भूमि के मूल्य और तोषण तथा दूसरी ओर अधिनियम की धारा 23(1क) के अधीन अधिनिर्णय-योग्य ब्याज के बीच कोई विभेद नहीं है । इसी राशि पर अधिनियम की धारा 34 के अधीन और यदि वह निर्देश हो तो अधिनियम की धारा 28 के अधीन खर्चों, यदि कोई हों के अतिरिक्त ब्याज अधिनिर्णीत किया जाता है । इस प्रकार, कलक्टर द्वारा दिए गए अधिनिर्णय और निर्देश पर पारित मानित डिक्री में प्रथम में प्रतिकर और ब्याज तथा दूसरे में ब्याज और खर्चों के घटक होते हैं ।

33. मथुर्नी मथर्ई बनाम हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड और अन्य¹ वाला मामला भूमि ऑर्जन अधिनियम के अधीन एक अधिनिर्णय डिक्री के निष्पादन का मामला था । उस मामले में अंतर्वलित प्रश्न यह था

¹ [1995] 3 एस. सी. आर. 765.

कि क्या अधिनिर्णय डिक्री के अधीन रकम जमा कराने किन्तु डिक्रीदार को निक्षेप की सूचना जारी न करने पर भी ब्याज नहीं लगता। उस मामले में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि जहाँ उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में निक्षेप किया गया था वहाँ निर्णीत ऋणी के लिए वह रीति विनिर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं था जिसमें रकम विनियोजित की जानी चाहिए। निक्षेप की सूचना भी आज्ञापक नहीं थी। इस न्यायालय ने संहिता के आदेश 21 के नियम 1 पर विचार करते समय, जैसा कि वह 1976 के अधिनियम सं. 104 द्वारा संशोधन करने से पूर्व विद्यमान था, प्रिवी कॉसिल के विनिश्चयों के प्रति निर्देश करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि ब्याज निक्षेप की सूचना दिए जाने पर ही न कि निक्षेप की तारीख से नहीं लगेगा। इस न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि 1976 के अधिनियम सं. 104 द्वारा संहिता के आदेश 21, नियम 1 का संशोधन होने के पश्चात् इस स्थिति को और बल मिला कि सूचना की तामील पर ही ब्याज नहीं लगेगा और यह कि उच्च न्यायालय ने इस तर्क को नामंजूर करके गलती की है कि निक्षेप की सूचना दिए जाने के अभाव में ब्याज लगना बंद नहीं हो जाता। इस न्यायालय ने विनिर्दिष्ट रूप से किसी अन्य प्रश्न को विनिश्चित नहीं किया क्योंकि इस न्यायालय ने यह कथन किया:—

“इस मामले के प्रयोजनों के लिए यह विनिश्चित करना आवश्यक नहीं है कि क्या न्यायालय में रकम जमा कर देने और डिक्रीदार को निक्षेप की सूचना की तामील कर देने से लेनदार उस रकम को मूलधन मद्दे विनियोजित करने के लिए बाध्य हो गया था क्योंकि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि प्रत्यर्थी ने निक्षेप के बारे में अपीलार्थी पर कभी किसी सूचना की तामील की थी।”

उस मामले में भूमि अर्जन अधिनियम की स्कीम पर आधारित कोई दलील नहीं दी गई थी और न्यायालय ने भी इस प्रश्न पर विचार नहीं किया कि क्या भूमि अर्जन अधिनियम के उपबंधों के आधार पर विनियोजन के प्रसामान्य नियमों से कोई विचलन नहीं किया गया था। वस्तुतः, उस मामले का संबंध इस प्रश्न से अधिक था कि क्या ब्याज लगना बंद हाने से पूर्व निक्षेप की सूचना देना आवश्यक है बजाय इसके कि उस पद्धति या रीति की सूचना दी जाए जिसमें निश्चिप्त रकम विनियोजित की जानी थी हालांकि इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि संहिता के आदेश 21 के नियम 1 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार किसी सूचना और

विनियोजन की रीति के संकेत के अभाव में संदाय के बारे में यह नहीं समझा जा सकता कि उसे मूलधन मद्दे विनियोजित किया गया है जब तक डिक्रीदार ऐसा स्वीकार न करे ।

34. भूमि अर्जन अधिनियम और उसके सुसंगत उपबंधों के संदर्भ में विनियोजन का प्रश्न विनिर्दिष्ट रूप से उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर और एक अन्य बनाम नेशनल फर्टिलाइज़र्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य वाले मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष आया । उस मामले में, अधिनिर्णय दिए जाने पर कलक्टर ने अधिनिर्णय के अधीन अवधारित तोषण और ब्याज सहित प्रतिकर का संदाय कर दिया था । जब उच्च न्यायालय ने प्रतिकर बढ़ा दिया तो वर्धित प्रतिकर भी जमा करा दिया गया था । जब उच्च न्यायालय द्वारा पृथक्करण के लिए नुकसानी के आधार पर और रकमें अधिनिर्णीत की गई और तत्पश्चात् उसने यथा-संशोधित धारा 23(2), धारा 28 और धारा 23(1-क) के अधीन संदेय तोषण और ब्याज और अतिरिक्त रकम में वृद्धि की तो डिक्रीदार ने प्रथमतः खर्च मद्दे प्राप्त रकम और उसके बाद संपूर्ण प्रतिकर पर ब्याज और विनियोजित करने के पश्चात् तोषण मद्दे और उसके बाद भूमि मूल्य मद्दों निष्पादन किया । यद्यपि निष्पादन न्यायालय ने दावा मंजूर कर लिया तथापि उच्च न्यायालय ने वह आदेश अपास्त कर दिया और निष्पादन मामला उस आदेश में अंतर्विष्ट निदेशों के अनुसार नए सिरे से निपटारे के लिए प्रतिप्रेरित कर दिया । उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेशों को इस न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती दी गई ।

35. जब अपील पर सुनवाई हुई तो डिक्रीदार की ओर से यह तर्क दिया गया कि इसमें अंतर्वलित प्रश्न उपर्युक्त मथुन्नी मर्थई बनाम हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड और अन्य वाले मामले में विनिश्चयित किया जा चुका है और यह कि कुछ भी विनिश्चयित किया जाना शेष नहीं है । यह दलील दी गई कि डिक्रीदार प्रतिकर की मूल रकम में से खर्चों तथा कब्जा लेने की तारीख से कलक्टर द्वारा अवधारित तथा उच्च न्यायालय द्वारा यथा-अवधारित संदाय की तारीख तक प्रतिकर की कुल रकम पर ब्याज को विनियोजित करने का हकदार था । निर्णीत लेनदार कलक्टर द्वारा जमा की गई मूल रकम को प्रथमतः खर्चों मद्दे उसके बाद कुल रकम पर ब्याज और बकाया रकम तथा उस पर प्रोद्भूत ब्याज मद्दे विनियोजित करने और शेष रकम निष्पादन में वसूल करने का हकदार था । इसलिए उच्च न्यायालय का निष्पादन न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप

करना सही नहीं था। न्यायालय ने इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया कि यह प्रश्न उपर्युक्त मथुन्नी मर्थई बनाम हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड और अन्य वाले मामले में विनिश्चित किया जा चुका है। इस न्यायालय ने दो प्रश्न उठाए। कब राज्य का ब्याज संदत्त करने का दायित्व समाप्त हो जाता है? क्या भूमि का स्वामी जमा की गई रकम में से पहले खर्चे मद्दे और उसके बाद ब्याज मद्दे रकमों का और उसके बाद मूलधन की रकम मद्दे विनियोजन करने और पुनः कुल रकम पर ब्याज का दावा करने का हकदार है?

36. इस न्यायालय ने भूमि अर्जन अधिनियम के सुसंगत उपबंधों का विस्तृत सर्वेक्षण किया और स्थिति का सारांश देने के पश्चात् इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:—

“उपर्युक्त उपबंधों के विवेचन से यह सिद्ध है कि अधिनिर्णय में (क) धारा 23 (1) के अधीन अवधारित प्रतिकर, (ख) धारा 23(2) के अधीन अर्जन की अनिवार्य प्रकृति के लिए अतिरिक्त रकम के रूप में अवधारित बाजार मूल्य पर तोषण; और (ग) न्यायालय द्वारा धारा 26 के अधीन अधिनिर्णत आधिक्य या उसके भाग पर कब्जा लेने की तारीख से धारा 34 और धारा 28 के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट दरों पर न्यायालय में संदाय या निक्षेप करने की तारीख तक धारा 11 के अधीन प्रतिकर की रकम पर ब्याज का संदाय, सम्मिलित होता है। धारा 23(1-क) के अधीन, धारा 4(1) के अधीन अधिसूचना की तारीख से अधिनिर्णय की तारीख तक या भूमि का कब्जा लेने की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त रकम संदत्त या निक्षिप्त की जाएगी। धारा 23(1-क) के अधीन अतिरिक्त रकम और धारा 23(2) के अधीन तोषण, धारा 11 के अधीन प्रतिकर और धारा 26 के साथ पठित धारा 23(1) या धारा 54 के अधीन अवधारित आधिक्य रकम के अतिरिक्त होता है। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 26 के अधीन अधिनिर्णय को न्यायालय द्वारा अवधारित आधिक्य रकम के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) के अधीन डिक्री समझा जाता है; जब अपील न्यायालय धारा 54 के अधीन प्रतिकर में और वृद्धि करता है तो ऐसा स्वबल से होगा।”

अधिनियम की धारा 34 कलक्टर पर धारा 23(1) के अधीन अवधारित ब्याज सहित प्रतिकर की रकम पर कब्जा लेने की तारीख से उस न्यायालय में, जिसमें धारा 18 के अधीन निर्देश किया जाएगा, संदाय या निक्षेप करने

की तारीख तक ब्याज संदत्त करने का दायित्व अधिरोपित करती है। प्रतिकर की आधिक्य रकम का अवधारण करने पर, धारा 28 न्यायालय को, यदि वह कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर में वृद्धि कर रहा है, कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत रकम से अधिक राशि पर प्रतिकर के रूप में ब्याज अधिनिर्णीत करने के लिए सशक्त करती है। न्यायालय के अधिनिर्णय में कलक्टर को यह निदेश भी दिया जा सकेगा कि वह ऐसे आधिक्य या उसके भाग पर उस तारीख से, जब उसने भूमि का कब्जा लिया, न्यायालय में ऐसे आधिक्य का संदाय करने की तारीख तक उसके अधीन विनिर्दिष्ट दरों पर ब्याज का संदाय करे। न्यायालय ने यह कथन किया :—

“दूसरे शब्दों में, धारा 34 और धारा 28 राज्य पर यह दायित्व अधिरोपित करती है कि वह प्रतिकर की रकम पर या धारा 28 के अधीन आधिक्य प्रतिकर पर अधिनिर्णय और डिक्री की तारीख से ब्याज का संदाय करे किन्तु न्यायालय द्वारा अवधारित प्रतिकर की आधिक्य रकम पर ब्याज संदत्त करने के दायित्व का संबंध भूमि का कब्जा लेने की तारीख से न्यायालय में ऐसा आधिक्य संदत्त करने की तारीख तक से है।”

न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला :—

“अधिनियम की स्कीम और धारा 23(1) और (2), धारा 34 और धारा 28 और अब धारा 23(1-क) में प्रयुक्त सुस्पष्ट भाषा से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक घटक अपने आप में एक सुभिन्न और पृथक् घटक है। जब प्रतिकर धारा 23(1) के अधीन अवधारित किया जाता है तब यद्यपि उसका परिमाण विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, तथापि उस पर ब्याज संदत्त करने का दायित्व उस तारीख से उद्भूत होता है जिस तारीख को इस प्रकार परिमाणन किया जाता है किन्तु, जैसा कि पहले कथन किया गया है, उसका संबंध भूमि का कब्जा लेने की तारीख से न्यायालय में ऐसे आधिक्य प्रतिकर पर ब्याज का निष्पेक्ष करने की तारीख तक से होता है।

ब्याज संदत्त करने का दायित्व धारा 23(1) के अधीन अवधारित प्रतिकर की आधिक्य रकम पर ही होता है न कि भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा धारा 11 के अधीन पहले से अवधारित और पक्षकार को संदत्त या न्यायालय में जमा की गई या धारा 26 अथवा धारा 54 के अधीन अवधारित और न्यायालय में जमा की गई रकम पर या

धारा 23(2) के अधीन तोषण पर और धारा 23(1-क) के अधीन अतिरिक्त रकम पर होता है।”

37. इस न्यायालय ने अंततोगत्वा यह अभिनिर्धारित किया कि विनियोजन करने का अधिकार स्वयं अधिनिर्णय में आवश्यक विवक्षा द्वारा उपदर्शित होता है क्योंकि अधिनिर्णय या डिक्री में प्रत्येक मद के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है। जब निष्क्रेप विनिर्दिष्ट रकमों मध्ये किया जाता है तब डिक्रीदार प्रतिकर की रकम में से खर्च, ब्याज, धारा 23(1-क) के अधीन ब्याज सहित अतिरिक्त रकम मध्ये कटौती करने और उसके पश्चात् अतिरिक्त ब्याज सहित कुल शेष रकम का दावा करने का हकदार नहीं होता। इस न्यायालय ने उपर्युक्त मेघराज वाले मामले के प्रति निर्देश करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि उस विनिश्चय का विनिश्चय-आधार भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन निष्पादन के किसी मामले में लागू नहीं होता था चूंकि अधिनियम के उपबंध आदेश 21 के नियम 1 से असंगत थे। इस न्यायालय ने उपर्युक्त मथुन्नी मर्थई वाले मामले के प्रति निर्देश करते हुए यह अवेक्षा की कि अधिनियम के उपबंधों और उन पर आधारित विनिश्चय की ओर न्यायालय का ध्यान नहीं दिलाया गया था और इसलिए उसमें की गई मताभिव्यक्तियां भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अधिनिर्णय डिक्री के निष्पादन के मामले में शासित नहीं हो सकती थीं।

38. उपर्युक्त निष्कर्ष, अधिनियम की स्कीम के आधार पर सादर, न्यायोचित हैं। किन्तु यह दलील दी गई कि जब कोई निर्देश न्यायालय या अपील न्यायालय वर्धित प्रतिकर अधिनिर्णीत करता है तब प्रवर्तनशील अधिनिर्णय न्यायालय का अधिनिर्णय होता है और विलयन के सिद्धांत के अनुसार भी प्रवर्तनशील डिक्री अपील न्यायालय की डिक्री होती है। इस प्रकार, किसी मामले में, अंतिम न्यायालय का अधिनिर्णय अर्जन के लिए संदेय रकम होगी और डिक्रीदार उस आधार पर उसे देय रकम की संगणना करने और ऐसी संगणना के आधार पर तथा पहले से किए गए संदाय या संदायों को हिसाब में रखते हुए पुनर्विनियोजन की ईप्सा करने के लिए स्वतंत्र होता है। दूसरे शब्दों में, यह दलील दी गई कि प्रत्येक बार जब भी वृद्धि की जाती है, पुनर्संगणना और समायोजन की ईप्सा की जाएगी। उत्तर में यह दलील दी गई कि अधिनियम में विभिन्न प्रक्रमों, अधिनिर्णय के प्रक्रम, निर्देश के प्रक्रम और अपील के प्रक्रम पर प्रतिकर के अवधारण के लिए उपबंध किए गए हैं और अधिनिर्णय पर आधारित और उसके पश्चात् अधिनिर्णीत आधिक्य प्रतिकर पर ही ब्याज और तोषण का संदाय करने के

लिए उपबंध किए गए हैं और ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती प्रक्रम पर लेखबद्ध तुष्टि पर फिर से विचार करना, न तो अनुध्यात है और न ही अपेक्षित है। यह निवेदन किया गया कि उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर और एक अन्य बनाम नेशनल फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य वाले मामले में के विनिश्चय-आधार से भी इस स्थिति को समर्थन प्राप्त होता है और यह कि सुसंगत उपबंधों के संदर्भ में उस विनिश्चय में इस पहलू पर अपनाई गई स्थिति स्वीकार की जानी चाहिए।

39. हम सांदर यह कह सकते हैं कि उपर्युक्त मथुन्नी मर्थई वाले मामले के विनिश्चय से इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। उस मामले का संबंध ब्याज लगना बंद हो जाने के समय से था, क्या वह निक्षेप की तारीख होगी या निक्षेप की सूचना की तारीख होगी। उसमें अधिनियम की सुसंगत धाराओं के प्रति विनिर्दिष्ट रूप से निर्देश नहीं किया गया और न ही इस प्रश्न पर पड़ने वाली उसके संभावी प्रभाव के बारे में विचार किया गया, उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर वाले मामले में इस पहलू पर यह अभिनिर्धारित करने की सीमा तक विचार किया गया कि अधिनियम में विनियोजन की ऐसी पद्धति के लिए उपबंध है जो संहिता के आदेश 21 के नियम 1 या साधारण विधि से असंगत है और उस सीमा तक अधिनियम की स्कीम अभिभावी होगी।

40. यद्यपि डिक्रीदार को निर्णीत ऋणी द्वारा किए गए संदायों को विनियोजित करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है तथापि वह डिक्री में यथा-उपबंधित के अनुसार ही हो सकता है – यदि डिक्री में इस संबंध में कोई उपबंध है – या, संहिता के आदेश 21 के नियम 1 द्वारा यथा-अनुध्यात, जैसा कि हमारे द्वारा ऊपर स्पष्ट किया गया है, प्राप्त हो सकेगा। संहिता या साधारण नियमों में निर्णीत ऋणी द्वारा मूलधन के उस भाग पर, जिसका संदाय वह पहले ही कर चुका है और ब्याज का संदाय करना अनुध्यात नहीं है। उसकी बाध्यता केवल उस अतिशेष मूलधन पर ब्याज का संदाय करना है जो प्रथम बार के न्यायालय या अपील न्यायालय द्वारा यथा-न्यायनिर्णीत असंदत्त रह जाता है। डिक्रीदार, इस बहाने से कि अपील न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णीत रकम वास्तव में देय रकम है, मूलधन के उस भाग पर, जिसका संदाय उसे पहले ही कर दिया गया है, ब्याज का दावा नहीं कर सकता। निस्संदेह, जैसा कि उपर्युक्त किया गया है, जो कुछ उसे संदत्त किया गया है, उसमें से वह पहले ब्याज और खर्च समायोजित कर सकता है और शेष रकम मूलधन मध्ये, यदि निक्षेप कम किया जाता है,

समायोजित कर सकता है। किन्तु डिक्रीदार उससे अधिक संपूर्ण संव्यवहार फिर से चालू करने की ईप्सा नहीं कर सकता और समस्त रकम पर ब्याज की पुनर्संगणना करने की कार्यवाही नहीं कर सकता और अपीली डिक्री के प्रकाश में संपूर्णतः पुनर्विनियोजन की ईप्सा नहीं कर सकता।

41. यह सही है कि उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर वाले मामले में अधिनियम की धारा 28 के प्रयोजन के लिए “अधिनिर्णीत प्रतिकर” अभिव्यक्ति की व्याख्या को उपांतरित किया गया था। उस सीमा तक उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर वाले मामले के तर्काधार के एक तत्व पर संदेह भी उत्पन्न होता है। किन्तु, जैसा कि हमें प्रकट होता है, विनियोजन के प्रश्न पर उपर्युक्त सुंदर वाले मामले के विनिश्चय का इतना प्रभाव नहीं है कि वह हमें उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर वाले मामले में अपनाए गए विनिश्चय-आधार की उपेक्षा करने के लिए बाध्य कर सके। उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर वाले मामले के विनिश्चय-आधार से थोड़ा सा विचलन करते हुए हमने पहले ही यह उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर वाले मामले में अपनाए गए विनिश्चय-आधार की उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर वाले मामले के विनिश्चय-आधार से थोड़ा सा विचलन करते हुए हमने पहले ही यह उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर वाले मामले में अपनाए गए विनिश्चय-आधार से सहमत हैं कि प्रतिकर के अधिनिर्णय के प्रक्रमों के प्रकाश में अधिनियम की धारा 34 और धारा 28 का पठन और व्याख्या करने पर उनकी भाषा के आधार पर विनियोजन का प्रश्न विभिन्न प्रक्रमों पर उद्भूत होगा और डिक्रीदार पहले से प्राप्त रकमों के पुनर्विनियोजन का और उस विशिष्ट प्रक्रम पर विनियोजित किए जाने का दावा करने के लिए संपूर्ण संव्यवहार फिर से चालू करने का हकदार नहीं होगा। विलयन के सिद्धांत का अवलंब लेने से डिक्रीदार अधिनियम द्वारा अंगीकृत स्कीम को पूरा करने में समर्थ नहीं हो जाता।

42. उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर वाले मामले से यह भी उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर वाले मामले से यह भी उपर्युक्त होता है कि जब विभिन्न शीर्षों, जैसे धारा 23(1) के अधीन रकम, धारा 23(2) के अधीन रकम, धारा 23(1क) के अधीन रकम और धारा 28 के अधीन ब्याज के अधीन रकमें विनिर्दिष्ट करते हुए कोई अधिनिर्णय डिक्री पारित की जाती है और निर्णीत ऋणी इन विभिन्न शीर्षों के अधीन विनिर्दिष्ट राशियां जमा कर देता है तो यह निर्णीत ऋणी द्वारा डिक्रीदार को यह सूचित करने की कोटि में आएगा कि जमा की गई राशि का निर्णीत ऋणी की बाध्यता का निर्वहन करने में किस प्रकार उपयोजन किया जाना है। जब डिक्रीदार इस प्रकार जमा की गई राशियों का संदाय प्राप्त कर लेता है

तो वह निर्णीत ऋणी द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की स्कीम के आधार पर अधिनिर्णय डिक्री के अधीन किए गए विनियोजन को स्वीकार कर रहा होगा। निस्संदेह, उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर वाले विनिश्चय-आधार का यह भाग इस तर्क पर भी आधारित है कि संहिता के आदेश 21 के नियम 1 और अधिनियम की स्कीम में कुछ असंगति है। उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर वाला मामला यह भी उपदर्शित करता है कि जब स्वयं डिक्री में ही विभिन्न शीर्षों के अधीन संदेय रकम विनिर्दिष्ट हो (डिक्री में अधिनियम की धारा 26 के अधीन ऐसा करना होता है) और उन विभिन्न शीर्षों के मध्ये रकमें जमा कर दी जाती हैं तब विनियोजन डिक्री के अधीन दिए गए निर्देश के आधार पर होगा जिसे विशिष्ट शीर्ष के अधीन संदत्त विभिन्न राशियों को जमा करने के लिए एक माना जाना चाहिए। अधिनियम की स्कीम, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 34 और धारा 28 की शब्दावली के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर वाले मामले में अपनाया गया उक्त दृष्टिकोण गलत है या अयुक्तियुक्त है या ऐसा दृष्टिकोण नहीं है जो अनपेक्षित है। इसलिए जब निर्णीत ऋणी राज्य ऐसी संगणना के साथ कोई निषेप करता है जिसमें निर्देश न्यायालय द्वारा या अपीली डिक्री में अपील न्यायालय द्वारा यथा-अधिनिर्णीत प्रतिकर के विभिन्न शीर्षों मध्ये भिन्न-भिन्न राशियां विनियोजित की गई हों और वह रकम डिक्रीदार द्वारा प्राप्त कर ली जाती है तब डिक्रीदार के बारे में यह माना जाना चाहिए कि वह यह मानते हुए विनियोजन की ईप्सा करने का हकदार है कि निर्णीत ऋणी ने कोई सूचना नहीं दी है और यह कि वह अपनी इच्छानुसार विनियोजन करने का हकदार है। अधिनियम की धारा 23 में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट मदों की विनिर्दिष्ट प्रकृति के संदर्भ में अधिनियम के अधीन प्रतिकर की स्कीम पर विचार करने के पश्चात् हमारा यह मत है कि उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर वाले मामले में अपनाया गया दृष्टिकोण न्यायोचित था। उस तुष्टि को, जो कि पहले हो चुकी है, फिर से खोलने की ईप्सा करके पुनर्विनियोजन करने के परिणामस्वरूप मूल रकम के उस भाग पर भी, जो कि पहले ही जमा किया जा चुका है और डिक्रीदार द्वारा प्राप्त किया गया है, ब्याज संदेय बनाना होगा और यह अन्यायपूर्ण संवर्धन के क्षेत्र में आएगा।

43. जब निर्देश न्यायालय या अपील न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत रकम अपील-न्यायालय के या अगले अपील न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसरण में जमा कर दी जाती है और अधिनिर्णीत व्यक्ति को वह रकम निकालने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तब क्या होगा? ऐसी दशा में,

वह रकम डिक्रीदार द्वारा अंतरिम आदेश के आधार पर प्राप्त की जाएगी और उसका विनियोजन अपील में के विनिश्चय या आगे अपील और उसमें अंतर्विष्ट निदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होगा। ऐसी दशा में, यदि अपील का निपटारा उसके पक्ष में किया जाता है तो डिक्रीदार अंतरिम आदेश के अनुसरण में उसके द्वारा पहले प्राप्त की गई रकम को पहले ब्याज मद्दे और उसके बाद खर्च मद्दे और अतिशेष रकम उस मूलधन मद्दे, जो रकम की निकासी की तारीख को विद्यमान था, विनियोजित करने का और निष्पादन करा कर वर्धित प्रतिकर की अतिशेष रकम का दावा करने का हकदार होगा। किन्तु मूलधन मद्दे विनियोजित उस भाग पर उस तारीख से ब्याज नहीं लगेगा जिस तारीख को वह रकम अधिनिर्णीत व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है। निस्संदेह, यदि न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित करते समय यह उपदर्शित कर दिया था कि जमा की गई रकम किस प्रकार विनियोजित की जानी है तो वह निदेश अभिभावी होगा और विनियोजन उस निदेश के आधार पर ही किया जा सकेगा।

44. इस प्रकार, समग्र रूप से हमारा यह समाधान हो गया है कि उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर वाले मामले में विभिन्न प्रक्रमों पर विनियोजन के संबंध में अपनाया गया आवश्यक विनिश्चय-आधार न्यायोचित है हालांकि यदि किसी विशेष प्रक्रम पर रकम कम होती है तो अधिनिर्णीत डिक्रीदार उसे विनियोजन के साधारण सिद्धांत के आधार पर तब तक पहले ब्याज मद्दे, उसके बाद खर्च मद्दे और फिर मूलधन मद्दे विनियोजित करने का हकदार होगा जब तक कि, निस्संदेह, निर्णीत ऋणी द्वारा डिक्रीदार को अपने आशय की सूचना देते हुए निक्षेप करते समय यह उपदर्शित न किया गया हो कि वह निक्षेप किन्हीं विनिर्दिष्ट शीर्षों के मद्दे किया गया है। इस प्रकार, हम विनियोजन के पहलू पर उपर्युक्त प्रेम नाथ कपूर के विनिश्चय-आधार का अनुमोदन करते हैं।

45. इस न्यायपीठ से एक अन्य प्रश्न उठाने और उसका उत्तर देने की ईप्सा भी की गई थी यद्यपि वह प्रश्न उसे निर्देशित नहीं किया गया था। इस बात पर विचार करते हुए कि यह प्रश्न देश भर के न्यायालयों में लंबित विभिन्न मामलों में उद्भूत होता है हमने काउंसेल को वह प्रश्न उठाने के लिए अनुज्ञात किया। वह प्रश्न यह है कि क्या उपर्युक्त सुन्दर वाले मामले में के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए अधिनिर्णीत व्यक्ति/डिक्रीदार निष्पादन के समय तोषण पर ब्याज का दावा करने का हकदार होगा यद्यपि डिक्री द्वारा वह विनिर्दिष्ट रूप से अनुदत्त नहीं किया

गया है। यह सुस्थापित है कि कोई निष्पादन न्यायालय डिक्री से परे कार्यवाही नहीं कर सकता। अतः यदि तोषण पर ब्याज के लिए दावा किया गया था और उसे निर्देश न्यायालय या अपील न्यायालय के निर्णय या डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से या आवश्यक विवक्षा द्वारा नकार दिया गया है तो निष्पादन न्यायालय को इस आधार पर उपर्युक्त सुन्दर वाले विनिश्चय पर आधारित तोषण पर ब्याज के लिए दावा आवश्यक रूप से नामंजूर करना होगा कि निष्पादन न्यायालय डिक्री से परे नहीं जा सकता। किन्तु यदि निर्देश न्यायालय के या अपील न्यायालय के अधिनिर्णय में तोषण पर ब्याज के प्रश्न के प्रति विनिर्दिष्ट रूप से निर्देश नहीं किया गया है या ऐसे मामलों में जहां दावा नहीं किया गया था और निर्देश न्यायालय या अपील न्यायालय द्वारा अभिव्यक्ततः या विवक्षित रूप से नामंजूर किया गया था और केवल प्रतिकर पर ब्याज अधिनिर्णीत किया गया था तो निष्पादन न्यायालय उपर्युक्त सुन्दर वाले मामले के विनिश्चय-आधार को लागू करने के लिए और यह कहने के लिए स्वतंत्र होगा कि अधिनिर्णीत प्रतिकर के अंतर्गत तोषण भी आता है और ऐसी दशा में, निष्पादन में उस रकम पर ब्याज जमा करने का निर्देश दिया जा सकता था। अन्यथा ऐसा नहीं किया जा सकता था। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि तोषण पर ऐसे ब्याज का दावा केवल लंबित निष्पादनों में ही किया जा सकता है न कि संपूर्ण निष्पादनों में और निष्पादन न्यायालय उपर्युक्त सुन्दर वाले निर्णय (19 सितम्बर, 2001) की तारीख से, न कि इससे पहले की किसी अवधि के लिए, उसकी वसूली की अनुज्ञा देने का हकदार होगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इसके कारण डिक्रीदार द्वारा कोई पुनर्विनियोजन या फिर से विनियोजन नहीं किया जाएगा। ऐसा हमने भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 142 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न पर मुकदमेबाजी की बहुलता को रोकने की दृष्टि से स्पष्टीकरण के तौर पर भी उपर्युक्त किया है।

46. अपीलें अब हमारे द्वारा दिए गए उत्तरों को ध्यान में रखते हुए निपटारे के लिए समुचित न्यायपीठ के समक्ष रखी जाएंगी।

तदनुसार निर्देश का उत्तर दिया गया।

ग्रो.